

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

केनरा बैंक

Canara Bank



(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Government of India Undertaking)



सिंडिकेट सिंडिकेट Syndicate

सेवानिवृत्तों के लिए सार-संग्रह पुस्तिका COMPENDIUM FOR RETIREES



“हम आपके सराहनीय योगदान के लिए आपका अभिवादन
करते हैं!”

कर्मचारी पेंशन निधि
मानव संसाधन व जन संपर्क विभाग
प्रधान कार्यालय : बेंगलूरु

Employees' Pension Fund
Human Resources & Public Relations Wing
Head Office : Bengaluru

Confidential

विषय-सूची

क्र.सं	विवरण	पृ.सं
1	श्री के सत्यनारायण राजू प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	5
2	श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, कार्यपालक निदेशक का संदेश	7
3	श्री बी पी जाटव, मानव संसाधन व जन संपर्क विभाग के मुख्य महाप्रबंधक का संदेश	9
4	श्री के वी रमणा मूर्ति, मानव संसाधन व जन संपर्क विभाग के महाप्रबंधक का संदेश	11
5	परिचय	13
6	केनराइट्स ऐप	14
7	पीएल नकदीकरण	15
8	सीबीओएसआर के विनियमन 20 [3] [iii] के तहत लागू मामले	15
9	अनुकंपा नियुक्ति या अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए योजना	15
10	बैंक डकैतियों के मामले में डकैतों/लुटेरों का विरोध करने पर इनाम की योजना	17
11	सामूहिक सावधि जीवन बीमा पॉलिसी	17
12	सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह	17
13	सेवानिवृत्ति/वीआरएस/इस्तीफे तक सेवानिवृत्ति पर स्थानांतरण के व्यय की प्रतिपूर्ति	18
14	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र	18
15	जमाराशियों पर अधिमान्य ब्याज दर	19
16	सेवा प्रभारों में रियायतें	21
17	हमारे पूर्व कर्मचारियों के लिए एसबी पूर्व स्टाफ जीवनधारा - डायमंड" और "एसबी पूर्व स्टाफ जीवनधारा - प्लेटिनम"	22
18	"केनरा एंजेल" - महिला विशेष बचत खाता	25
19	सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति या पत्नी को आईबीए चिकित्सा बीमा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति (प्रमाण के आधार पर)	26
20	सेवानिवृत्त कर्मचारियों / मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति या पत्नी जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को घोषणा के आधार पर चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति	26
21	सेवानिवृत्त अधिकारियों को वसूली एजेंट के रूप में नियुक्त करना	27
22	सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार लेने की अनुमति	28
23	कानूनी सहायता	28
24	मृत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/पति/पत्नी के लिए आईबीए ग्रुप चिकित्सा बीमा योजना	29
25	सोशल मीडिया / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग पर नीति	33
26	गृह पत्रिका और पुस्तकालय	34
27	विश्राम गृह	34
28	अत्येष्टि व्यय - सेवानिवृत्त कर्मचारी	35
29	मृत कर्मचारी के पार्थिव शरीर को पैतृक स्थान/निवास स्थान पर ले जाने के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए योजना जब मृत्यु उसके मूल स्थान/अधिवास के स्थान के बाहर होती है	36
30	मृत कर्मचारी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा लाभ	37
31	भविष्य निधि	38

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
32	पेंशन	38
33	नियमित पेंशन	38
34	पारिवारिक पेंशन	40
35	अनुग्रह राशि	42
36	ग्रेच्युटी	42
37	स्रोत पर काटा गया कर	44
38	निवेश घोषणा प्रस्तुत करना	46
39	आधार को पैन से लिंक करना	46
40	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	47
41	टर्मिनल लाभों पर कराधान	48
42	पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	49
43	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)	58
44	रियायती ब्याज दर पर आवास ऋण जारी रखना	61
45	कार लोन के तहत सीमा/देयताओं का जारी रहना	61
46	अधिकारी कर्मचारियों को उपलब्ध फर्नीचर का प्रतिधारण	61
47	अधिकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध मोबाइल हैंडसेट का प्रतिधारण	62
48	बैंक के क्वार्टरों को अधिकारियों/कार्यकारियों द्वारा बनाए रखना	62
49	आवास ऋण देयता का समायोजन/निरंतरता	64
50	बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवास ऋण योजना	65
51	केनरा पेंशन	67
52	सेवानिवृत्त लोगों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ: क्या करें और क्या न करें	69
53	शिकायतों को बढ़ाने के लिए एकल संपर्क बिंदु	71
54	महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर और संपर्क विवरण	71

संदेश

श्री. के सत्यनारायण राजू

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



केनरा बैंक परिवार के प्रिय सम्मानित सदस्यों,

सेवानिवृत्ति संपूर्ण जीवन काल में केवल एक पड़ाव की भांति होती है। यह एक प्रकार से जीवन के नए पाली की शुरूआत की तरह होती है। यह पेशेवर उद्देश्य वाले जीवन से वैयक्तिक आत्मसंतुष्टि वाले जीवन में परिवर्तन का आत्मीय प्रतीक व नया अध्याय है, जहां पर बीता हुआ समय एक प्रकार से स्वर्णिम अनुभवों में परिवर्तित हो जाता है। यह हमें जीवन के शेष काल को संवारने और उसे एक नई दिशा और उर्जा प्रदान करने में मदद करती है। यह समय उन सभी उपलब्धियों और अनुभवों को सहेज कर जीवन में उल्लास के वातावरण को शामिल करते हुए जश्न मनाने का समय है। यह जीवन के उन तमाम पहलुओं से साक्षात्कार कराने और उसे पूर्ण करने का समय होता है। यह जीवन के उन अनछुए पहलुओं को पूर्ण करने का आमंत्रण देता है जो अभी भी इंतज़ार कर रहा है।

केनरा बैंक की समृद्ध विरासत न केवल प्रचलित प्रणालियों और संरचनाओं से निर्मित है अपितु लोक जनमानस की भावनाओं, चेतनाओं और उनकी आशाओं से बनी है। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी इस विरासत की दूरदर्शी एवं महत्वपूर्ण आधारशिला है, जिन्होंने अपने समर्पण, ईमानदारी, कार्य के प्रति निष्ठा और उत्कृष्टता के साथ हमारी कारोबारी यात्रा को एक नया आकार व आयाम दिया है। आप हमारे कारोबारी मूल्यों की जीती-जागती मिसाल है। संस्था के प्रति आपके उत्कृष्ट योगदान ने हमें महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचाने में महती भूमिका निभाई है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अद्यतन रखने के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। यह संकलन मानव संसाधन व जनसंपर्क विभाग की ओर से एक हृदयस्पर्शी प्रस्तुति है। यह सार-संग्रह पुस्तिका को सरल एवं सुग्राह्य भाषा में बेहतर जानकारी के साथ तैयार किया गया है। यह पुस्तिका सेवानिवृत्ति जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से गुजारने और हर प्रकार के सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की आवश्यक जानकारी, कर्मचारी लाभ और सेवानिवृत्ति आयोजना व्यवस्था संबंधी जानकारी को एक साथ लेकर तैयार किया गया है। इस प्रकार इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी कि, यद्यपि आप सक्रिय बैंकिंग सेवा से निवृत्त हो गए हैं परंतु आप सदैव हमारे संस्थान से जुड़े रहेंगे।

मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मानव संसाधन वर्टिकल टीम की सराहना करता हूं एवं साधुवाद देता हूं। मैं अपने समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति अपना गहरा आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ने जिस निष्ठा और समर्पण के साथ बैंकिंग सेवा की है उसी समर्पण के साथ आपके जीवन का यह नया अध्याय स्वास्थ्य, खुशी और अनुग्रह से भरा हो।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

के सत्यनारायण राजू

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संदेश प्रेषक
श्री. हरदीप सिंह अहलवालिया
कार्यपालक निदेशक



प्रिय सेवानिवृत्त साथियों,

सेवानिवृत्ति किसी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो उम्मीदों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समृद्ध होती है। यह अपने जीवन की अभिलाषा को एक नए आयाम देने, रिश्तों को मज़बूत करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी व खुशी को अपनाने का समय होता है। यह दौर अपने जीवन के उद्देश्यों से पीछे हटने का नहीं है, बल्कि खुद की ओर लौटने का है, जहां हर दिन प्रकृति का मनोरम सौंदर्य अपनी दोनों बाहें बिखेरे आपका हार्दिक स्वागत करता है।

केनरा बैंक में, कर्मचारियों के साथ हमारा नैसर्गिक जुड़ाव होता है जो सेवानिवृत्ति के परे भी निरंतर रूप से चलता रहता है। सेवानिवृत्ति का अर्थ संस्थागत अलगाव नहीं है अपितु यह रिश्तों के जुड़ाव को और गहराई को और मजबूती से बांधती है। आप सेवानिवृत्ति के पश्चात भी हमारे संस्थागत परिवार का एक अभिन्न अंग बने रहेंगे। आपके द्वारा प्रदान की गई कुशल कार्य शैली व कार्यसंस्कृति तथा विरासत हमारे भविष्य के कार्य संस्कृति को एक बेहतर आकार प्रदान करता है। आपके द्वारा छोड़े गए कार्य संस्कृति की अमिट छाप हमारे मूल्यों को प्रेरित करती है और हमारे भविष्य को राह दिखाती है। आज हमारे बैंक की ताकत आपके समर्पण का प्रतिबिंब है और हम सभी इसे स्थायी कृतज्ञता के साथ इसका सम्मान करते हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सार-संग्रह पुस्तिका का निर्माण करना, हमारे मानव संसाधन व जनसंपर्क विभाग की एक विवेकशील पहल है। यह समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन के इस नए अध्याय में एक व्यावहारिक साथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता रहेगा। इस पुस्तिका को स्पष्ट, सरल, सहज और सुलभ प्रारूप में आप सभी के समक्ष लाया गया है जिसमें सेवानिवृत्ति पश्चात मिलने वाले आवश्यक लाभ, पात्रता और आयोजना के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह पुस्तिका केवल एक गाईड ही नहीं बल्कि सक्रिय सेवा में नहीं होने के बाद भी आपके भलाई के प्रति हमारी सहज प्रतिबद्धता है।

मैं इस सार्थक प्रकाशन के लिए मानव संसाधन वर्टिकल की सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के पश्चात की रोमांचक जीवन यात्रा में आप सभी को स्पष्टता के साथ आत्मविश्वास प्रदान कर सशक्त बनाएगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

श्री. हरदीप सिंह अहलवालिया
कार्यपालक निदेशक

संदेश
श्री. बी पी जाटव
मुख्य महाप्रबंधक



आदरणीय सेवानिवृत्त साथियों,

सेवानिवृत्ति, जीवन के एक ऐसे दौर की अनुभूति प्रदान करती है, जहां समय आपका अपना हो जाता है और जीवन का हर क्षण खुशी, सकारात्मक चिंतन और नई जोश व नए अध्याय के शुरुआत का वादा करता है। यह उन पलों का एहसास दिलाती है, जिसमें आपने जीवन के कई अप्रतिम उंचाइयों को प्राप्त किया है साथ ही साथ अब कई और उपलब्धियां आपका इंतज़ार कर रहा होता है।

केनरा बैंक की वास्तविक शक्ति और पहुंच आप जैसे लोगों के कंधों पर ही टिकी हुई है, जिनके समर्पण, ईमानदारी और निरंतरता तथा दृढ़ता ने दशकों के परिवर्तनकारी उपलब्धियों के माध्यम से हमारी सफल यात्रा को एक नया आयाम दिया है। आप केवल हमारे इतिहास का हिस्सा ही नहीं बल्कि इस स्वर्णिम इतिहास के लेखक भी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी समर्पित कार्य प्रणाली की विरासत हमें मार्गदर्शन और प्रेरित करती रहेगी। आप सभी के कार्य के प्रति निष्ठा हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है जो हमारी संस्था के विकास का मूल स्तंभ हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संकलित यह नया अध्याय आपके एक विश्वसनीय साथी के रूप में तैयार की गई है, जो कि मानव संसाधन वर्टिकल की एक सुंदर पहल है। इस पुस्तिका में सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ, पेंशन पात्रता और सहायता सेवाओं के ऊपर विस्तार व स्पष्टता के साथ आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह पुस्तिका केवल एक मार्गदर्शक के रूप में ही नहीं, अपितु यह कई वर्षों तक आपके द्वारा संस्था को दी गई सेवा की भांति सेवानिवृत्ति के पश्चात निरंतर और निर्बाध रूप से आपके दैनिक आवश्यकता को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। यह एक प्रकार से सेवानिवृत्ति के बाद भी आत्मसम्मान का परिचायक साबित होगा।

आप जिस प्रकार संस्था के साथ निरंतर और अडिग रूप से सेवा भावना के साथ जुड़े रहे ठीक उसी तरह हम भी आपके साथ जुड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तिका आपके और आपके प्रियजनों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

बी पी जाटव
मुख्य महाप्रबंधक

संदेश
श्री के वी रमणा मूर्ति
महाप्रबंधक



आदरणीय सेवानिवृत्त साथियों,

सेवानिवृत्ति एक ऐसा पड़ाव है जो जीवन भर के समर्पण, अनुशासन और सार्थक योगदान को दर्शाता है। यह एक संरचित पेशेवर यात्रा से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक ऐसे दौर में बदलाव का प्रतीक है, जहाँ समय आपका अपना होता है, आप अपनी पसंद के काम कर सकते हैं और पुरानी यादों को फिर से जी सकते हैं।

केनरा बैंक में, हम अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा और प्रतिबद्धता का आदर व सम्मान करते हैं। आप हमारी प्रगति के मूल स्तंभ रहे हैं और आपकी कार्य संस्कृति की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपके द्वारा किए गए बैंकिंग सेवा के उत्कृष्ट सफर को हम सभी केवल सम्मान ही नहीं बल्कि उसे सामूहिक रूप से जिम्मेदारीपूर्वक अपने जीवन अक्षुण्ण बनाए रखेंगे।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रकाशित इस पुस्तक का संकलन मानव संसाधन व जनसंपर्क विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में नियमों की स्पष्टता, सुविधा और निरंतर समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रस्तुत पुस्तिका सेवानिवृत्ति के बाद के विभिन्न मामलों पर आवश्यक जानकारी को सरल, सुलभ भाषा में एक साथ प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तिका में भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी) या जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने संबंधी मार्गदर्शन विस्तार से दिया गया है। इस पुस्तिका का उद्देश्य किसी भी मार्गदर्शन के लिए आपको विश्वसनीय संदर्भ प्रस्तुत कराना है।

हमें उम्मीद है कि यह संकलन आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की यात्रा में एक सहायक साथी के रूप में कार्य करेगा और आपकी भलाई के प्रति हमारी स्थायी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

के वी रमणा मूर्ति
महाप्रबंधक

परिचय

सेवा से निवृत्त होने पर जो सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होते हैं, वे विभिन्न निपटान और विनियमों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह, पूर्व कर्मचारियों को दिए गए लाभ समय-समय पर बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों, दिशानिर्देशों के अंतर्गत आते हैं। यह वर्तमान पुस्तिका इसे समेकित करने का एक प्रयास है, हम उम्मीद करते हैं कि यह सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी होगी।

यद्यपि प्रासंगिक जानकारी को समेकित करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, कृपया ध्यान दें कि यहां प्रस्तुत जानकारी केवल एक संक्षिप्त अवधारणा देने के लिए है और किसी भी संदेह या पूर्ण सटीक/विवरण की आवश्यकता होने पर, संबंधित विनियमों/नियमों/परिपत्रों को देखना होगा और उनमें निहित दिशानिर्देश/प्रावधान/समझौते ही मान्य होंगे।

सेवानिवृत्ति के अनुकूल उपाय

- ❖ पेंशन और संराशीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करना।
- ❖ डिजिटल पीपीओ जारी करना।
- ❖ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के अगले कार्य दिवस पर टर्मिनल लाभों को जमा करना।
- ❖ केनरा बैंक के कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों के लिए पात्र टर्मिनल और अन्य लाभों का दावा करने के लिए मार्गदर्शन/सहायता प्राप्त करने हेतु एकल संपर्क अधिकारी (संपर्क संख्या 6366314053) प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
- ❖ पेंशन कैलकुलेटर एचआरएमएस में अनुमानित पात्र पेंशन और संराशीकरण को जानने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
 - ❖ पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी "केनराइट" मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। एक बार एचआरएमएस के पेंशन फंड अनुभाग में पूर्व कर्मचारी के पेंशन विवरण अपडेट हो जाने के बाद, पेंशनभोगी अपने केनराइट्स लॉगिन में इसे देख सकते हैं।
- ❖ सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा संरचित और परामर्शी तरीके से उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए बैंक की सक्रिय प्रतिबद्धता के अनुसार, शिकायत निवारण समिति की छमाही बैठक आयोजित करना।
- ❖ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति माह के अंतिम सप्ताह के दौरान मासिक प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- ❖ पूर्व कर्मचारियों से संबंधित विश्रांति न्यूजलेटर / अन्य संचार पूर्व कर्मचारी अनुभाग के तहत बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं, इसके अलावा ये केनराइट्स ऐप में भी उपलब्ध हैं।

केनराइट्स ऐप

केनराइट - केनरा बैंक के पूर्व कर्मचारी गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ता) या ऐप स्टोर (आईफोन उपयोगकर्ता) पर जाकर "केनराइट" मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और "केनराइट" सर्च कर सकते हैं।

"केनराइट्स" मोबाइल ऐप उनकी पेंशन प्रोफाइल, पेंशन संवितरण, निवेश आदि से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, ऐप होम पेज के शीर्ष पर नवीनतम जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति प्रदर्शित करता है। "यदि कर्मचारी पहले से ही "केनराइट्स" का पंजीकृत उपयोगकर्ता है, तो सेवानिवृत्त होने और पेंशन स्वीकृत होने के बाद ऐप में उपयोगकर्ता प्रोफाइल स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त प्रोफाइल में स्थानांतरित हो जाएगी और ऐप में विकल्प उनकी पेंशन से संबंधित जानकारी दिखने लगेंगे।"

ऐप में होम पेज मेनू का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:



- 1. पेंशनभोगी प्रोफाइल:** इस टैब में पेंशनभोगी प्रोफाइल विवरण जैसे नाम, कर्मचारी आईडी, पदनाम, जन्म तिथि, शामिल होने की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, पति या पत्नी का नाम आदि शामिल हैं।
- 2. पेंशन विवरण:** यह टैब पेंशन और संराशीकरण पर विवरण प्रदान करता है अर्थात पेंशन का प्रकार, पीपीओ संख्या, पीपीओ तिथि, संराशीकरण स्वीकृति तिथि, संराशीकरण बहाली तिथि, संराशीकरण से पहले मूल पेंशन, संराशीकरण राशि आदि।
- 3. संवितरण विवरण:** यह टैब पिछले 12 महीनों के लिए पेंशन विवरण प्रदान करेगा जिसमें रूपान्तरण, महंगाई राहत, आईटी कटौती (यदि कोई हो) और कुल देय पेंशन के बाद बुनियादी पेंशन शामिल है।
- 4. निवेश विवरण:** आयकर प्रावधानों के अनुसार वर्ष में पेंशनभोगी द्वारा किए गए निवेश का विवरण, घोषित निवेश की राशि, सत्यापित राशि का प्रमाण इस टैब के माध्यम से जाँचा जा सकता है।
- 5. पूर्व-कर्मचारी पृष्ठ:** यह लिंक उपयोगकर्ता को हमारे बैंक की वेबसाइट पर पूर्व-कर्मचारी वेब-पृष्ठ तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा।

6. **इन-हाउस प्रकाशन:** यह लिंक पेंशनभोगियों को बैंक द्वारा जारी किए गए इन-हाउस प्रकाशनों को देखने की सुविधा प्रदान करेगा, जैसे कि टुडेज टाइडिंग्स, एग्जीक्यूटिव डाइजेस्ट, श्रेयस, सामयिक प्रकाशन और विश्रान्ति न्यूजलेटर।
7. **फॉर्म 16 भाग ए:** नवीनतम वित्तीय वर्ष के फॉर्म 16 (भाग ए) डाउनलोड करने का विकल्प।
8. **फॉर्म 16 भाग बी:** नवीनतम वित्तीय वर्ष के फॉर्म 16 (भाग बी) को डाउनलोड करने का विकल्प।

पीएल नकदीकरण

ए. वेतन और भत्तों के अनुसार योग्य घटक

बी. पीएल खाते में जमा सेवानिवृत्ति की तारीख तक वर्ष के दौरान अर्जित यथानुपात पीएल।

सी. सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर अधिकतम 255 दिनों का पीएल नकदीकरण किया जा सकता है।

डी. पीएल नकदीकरण की गणना के उद्देश्य से वेतन/भुगतान की नवीनतम परिभाषा के लिए समय-समय पर द्वि-पक्षीय निपटान/संयुक्त नोटों का संदर्भ लिया जाएगा।

ई. सेवानिवृत्ति पर विशेषाधिकार अवकाश का नकद भुगतान पिछली आहरित वेतन के आधार पर किया जाता है, और इस पर अधिकतम 25,00,000/- रुपये आयकर से तक छूट मिलती है।

एफ. इस्तीफे की स्थिति में पीएल नकदीकरण जमा हुए पीएल का 50% होगा जो अधिकतम 127 दिनों तक होगा।

सीबीओएसआर के विनियम 20 [3] [IIII] के लागू मामले

वैसे अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, वह सेवानिवृत्ति की तिथि से सेवा में नहीं रहेंगे परंतु अनुशासनात्मक कार्यवाही तब तक जारी रहेगी, जब तक उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती और उस संबंध में अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता। संबंधित अधिकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद कोई वेतन और/या भत्ता प्राप्त नहीं होगा। वैसे कर्मचारी जिन्होंने पेंशन के विकल्प का चयन किया है, वे उक्त कार्यवाही के पूर्ण होने की तिथि तक केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 46 के अनुसार वैसे कर्मचारी अपने पीएफ और अनंतिम पेंशन में स्वयं के द्वारा किए गए योगदान को छोड़कर, सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी हकदार नहीं होगा।

अनुकंपा नियुक्ति या अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना (प्र.का. परिपत्र 4/2025)

- यह योजना 05/08/2014 से प्रभावी है।
- हमारे बैंक के एक स्थायी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य के लिए जो -
 - सेवा में रहते हुए मृत्यु (आत्महत्या मृत्यु सहित) हो जाती है
 - 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले अक्षमता के कारण चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो गया है। (अक्षमता को सरकारी मेडिकल कॉलेज/सरकारी जिला मुख्यालय अस्पतालों/बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित डॉक्टरों के पैनल (अर्थात् मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग) में विधिवत नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।)
 - लापता रहा हो और दो साल से ज़्यादा की सेवा बची हो।

- "योजना के प्रयोजन के लिए, "कर्मचारी" का तात्पर्य स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियमित आधार पर नियुक्त केवल एक कर्मचारी शामिल होगा, जो 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले चिकित्सा आधार पर मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान पर पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा कर रहा था और इसमें अनुलग्नक /अस्थायी/आकस्मिक या कमीशन के आधार पर भुगतान किए गए किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है।"
- आश्रित परिवार के सदस्य का अर्थ है:
 - पति/पत्नी; या
 - पूर्णतः आश्रित पुत्र (कानूनी रूप से गोद लिए गए पुत्र सहित); या
 - पूर्णतः आश्रित पुत्री (कानूनी रूप से गोद ली गई पुत्री सहित); या
 - अविवाहित कर्मचारी के मामले में पूरी तरह से आश्रित भाई या बहन
- इस योजना के तहत नियुक्ति केवल लिपिक या उप-कर्मचारी संवर्ग में की जाएगी।
- **पात्रता:**
 - परिवार निर्धन है और वित्तीय विपन्नता से राहत के लिए तत्काल सहायता का हकदार है; तथा
 - अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के तहत सभी प्रकार से पद के लिए योग्य और उपयुक्त होना चाहिए
- जिन मामलों में मृत्यु 05/08/2014 को या उसके बाद हुई है, उन्हें ही इस अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत शामिल किया जाएगा। योजना के तहत रोजगार के लिए पात्र आश्रित से आवेदन सामान्यतः मृत्यु की तारीख या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात पांच साल तक विचार किया जाएगा।
- बैंक के पास दोनों विकल्प हो सकते हैं अर्थात् अनुकंपा नियुक्ति या एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान। हालांकि, इन दो विकल्पों में से किसी का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अनुकंपा नियुक्ति की अन्य शर्तें पूरी हों। ऐसे मामले में, अनुग्रह राशि की मात्रा निम्नानुसार होगी:-
- **अनुग्रह राशि की मात्रा:** अनुग्रह राशि की गणना कर्मचारी की शेष सेवा के प्रत्येक माह के लिए अंतिम आहरित सकल वेतन (करों का शुद्ध) के 60% की दर से की जाएगी (अर्थात् मौजूदा सेवा नियमों / शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु तक) उसके बाहर निकलने के समय नीचे उल्लिखित "अधिकतम राशि" की संवर्गवार सीमा के अधीन, देय होगा।

देय अनुग्रह राशि पर कैडर-वार सीमा निम्नलिखित होगी:

श्रेणी	अधिकतम राशि
अधिकारी	8.00 लाख रुपये
लिपिक कर्मचारी	7.00 लाख रुपये
अधीनस्थ कर्मचारी	6.00 लाख रुपये

- बैंक डकैतियों के मामलों में डकैतों/लुटेरों का विरोध करने के कारण या आतंकवादी हमलों के कारण हुई मृत्यु के मामले में, मृत कर्मचारी के आश्रित परिपत्र संख्या 185/2022 दिनांक 31.03.2022 के प्रावधानों के अनुसार अधीन होंगे।
- प्रका परिपत्र 4/2025 दिनांक 01.01.2025 के तहत निर्दिष्ट अन्य शर्तें/पात्रता मानदंड लागू होंगे।

बैंक डकैतियों के मामले में डकैतों/लुटेरों का विरोध करने पर इनाम की योजना

बैंक वामपंथी उग्रवाद सहित बैंक पर बैंक डकैती/आतंकवादी हमलों का विरोध करते समय मारे गए मृत कर्मचारियों के परिवार को मुआवजा, पुरस्कार, अनुकंपा नियुक्ति और कुछ अन्य लाभ प्रदान कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए, प्र.का. परिपत्र 185/2022 दिनांक 31.03.2022 का संदर्भ लिया जा सकता है।

सामूहिक सावधि जीवन बीमा पॉलिसी

सामूहिक सावधि जीवन बीमा पॉलिसी (जीटीएलआई) 01.02.2021 से शुरू की गई है। एनपीएस / पीएफ / ग्रेज्युटी रिकॉर्ड के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी / नॉमिनी व्यक्ति को जीटीएलआई नीति के तहत पात्र राशि प्राप्त होगी।

नीति अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए:

- बैंक ने जीएसटी सहित देय प्रो-राटा प्रीमियम का 90% भुगतान किया है और कर्मचारियों ने अवधि के लिए अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जीएसटी सहित देय प्रीमियम का शेष 10% भुगतान किया है।
- शेष अवधि के लिए, यानी जिस तारीख को कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने पर बैंक की सेवाओं से मुक्त होते हैं, उस तारीख से लेकर पॉलिसी अवधि तक, यदि उन्होंने वर्तमान नीति अवधि की समाप्ति तक, देय प्रो-राटा प्रीमियम का 100% भुगतान किया है, तो कवरेज बढ़ा दिया गया है।
- वीआरएस के कारण बैंक से बाहर जाने वाले और पॉलिसी में बने रहने के लिए सहमति देने वाले कर्मचारियों को अपनी पॉलिसी से बाहर निकलने की तारीख से पॉलिसी की समाप्ति तक प्रो-राटा प्रीमियम का 100% भुगतान करना होगा और यह राशि उनके खाते से काट ली जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया आईसी/321/2025 दिनांक 23/04/2025 का संदर्भ लें और अंचल कार्यालय के मा.सं.प्र. अनुभाग से संपर्क करें जहां कर्मचारी ने मृत्यु से ठीक पहले आखिरी बार काम किया था।

दुर्घटना के कारण मृत्यु

बैंक के पास कर्मचारी कल्याण उपायों के तहत सेवा में कर्मचारियों के लिए एक समूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। सेवा में कर्मचारी की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, उक्त नीति की आवश्यकता के अनुसार दावा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए/ आवश्यक प्रारूप / आवेदन, कृपया मा.सं.प्र. अनुभाग से संपर्क करें, जहां कर्मचारी ने मृत्यु से ठीक पहले आखिरी बार काम किया था।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया आईसी/128/2025 दिनांक 28/02/2025 देखें।

सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिह्न

बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्मृति चिह्न भेंट कर रहा है। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पसंद की उपहार वस्तु खरीद सकते हैं और बैंक उन्हें ऐसे राशि की प्रतिपूर्ति करेगा:

उक्त योजना के तहत संशोधित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

राशि:

कर्मचारियों का संवर्ग	कुल देय राशि (रु.)
कार्यपालक	35,000
अधिकारी	30,000
लिपिक कर्मचारी	25,000
अधीनस्थ कर्मचारी	20,000

अधिक जानकारी के लिए कृपया आईसी/359/2023 दिनांक 19.04.2023 देखें।

सेवानिवृत्ति / वीआरएस / इस्तीफे पर सेवानिवृत्ति होने पर स्थानांतरण व्यय की प्रतिपूर्ति

सेवानिवृत्ति / वीआरएस / इस्तीफे पर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी को स्थानांतरण के समय लागू नियमों के अनुसार स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए टीए की प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत सामान / सामान को स्थानांतरित करने और अन्य खर्चों के लिए पात्र हैं।

प्रतिपूर्ति उस अंतिम स्टेशन से लागू होगी जिस पर अधिकारी उस स्थान पर तैनात है जहां वह सेवानिवृत्ति पर समझौता करने का प्रस्ताव करता है।

अग्रिम टीए व्यय की अनुमति नहीं होगी और किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा अंचल के संबंधित मासंप्र अनुभागों से किया जाना है।

सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने के भीतर टीए खर्चों का दावा किया जाएगा।

सेवा के दौरान किसी अधिकारी की मृत्यु होने पर यह सुविधा परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाएगी।

वीआरएस / इस्तीफे की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी: (परिपत्र संख्या 331/2020)

अधिकारी कर्मचारी जो वीआरएस / इस्तीफा चाहते हैं	सक्षम प्राधिकारी
स्केल I/II/III में अधिकारी कर्मचारी और स्केल IV & V में कार्यपालक	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय
स्केल VI में कार्यपालक	कार्यपालक निदेशक - एचआर विभाग के पर्यवेक्षी
स्केल VII, VIII में कार्यपालक	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र

बैंक केवल सेवानिवृत्ति / वीआरएस / एसवीआर / इस्तीफा देकर पेंशन ले रहे पूर्व कर्मचारियों को ही पहचान पत्र जारी कर रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहचान पत्र केवल पहचान के लिए जारी किया जाता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में दो स्टाम्प आकार के फोटो संबंधित अंचल/एसए अनुभाग, निरीक्षण विभाग/होसा अनुभाग, मासं विभाग, प्र.का. के पासंप्र अनुभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारी (स्केल V तक) द्वारा जमा किए जाने हैं, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी ने आखिरी बार काम किया है। स्केल VI और VIII में सेवानिवृत्त अधिकारियों को होसा अनुभाग, मासं विभाग, प्र.का. को पेंशन प्राप्त करने वाली शाखा या शाखा के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा जहां उनका खाता है।

जमाराशियों पर अधिमान्य ब्याज दर

बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कुछ अन्य श्रेणी के पूर्व कर्मचारियों को जमा पर अधिमान्य ब्याज दर प्रदान कर रहा है।

जमाराशियों पर अधिमान्य ब्याज दर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	सामान्य जनता के अलावा अतिरिक्त आय और व्यय
1	पूर्व कर्मचारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि की मात्रा के बावजूद घरेलू सावधि जमा	1.50%
2	घरेलू सावधि जमा-सभी परिपक्वता स्लैब-कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के लिए जमा के आकार की परवाह किए बिना	1.00%
3	केनरा टैक्स सेवर डिपॉजिट	1.00 %

(I) आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के नाम पर जमा जमाराशियों पर ही अधिमान्य ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा:

- बैंक का एक कर्मचारी [स्थाई या परिवीक्षाधीन] अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों के साथ।
- बैंक के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक केवल उनके कार्यकाल के दौरान।
- हमारे बैंक का कोई कर्मचारी, जिसे बाहर या कहीं और प्रतिनियुक्त किया गया है।
- एक सेवानिवृत्त कर्मचारी [जिसमें स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी भी शामिल है] या तो अकेले या संयुक्त रूप से अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य या सदस्यों के साथ।
- ऐसे कामगार कर्मचारी जिन्होंने पेंशन विनियमन के विनियम 29 के तहत पेंशन का विकल्प चुना है और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना" के तहत कम से कम 20 साल की सक्रिय निर्दोष सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है।
- ऐसे कामगार कर्मचारी, जिन्होंने 25 साल की सक्रिय निर्दोष सेवा पूरी कर ली है और इस्तीफा दे दिया है।
- ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने बैंक में कम से कम 20 साल की सक्रिय निर्दोष सेवा की हो और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना" के तहत इस्तीफा दे दिया हो।
- ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने बैंक में कम से कम 25 वर्ष [सक्रिय सेवा] की अवधि तक सेवा की हो और जिनका रिकॉर्ड निर्दोष हो, लेकिन परिपत्र संख्या 160/86 दिनांक 24/04/1986 में उल्लिखित "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना" की शुरुआत से पहले बैंक की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया हो।
- किसी मृत कर्मचारी के पति/पत्नी का नाम, उसके अकेले नाम पर।
- किसी मृत सेवानिवृत्त कर्मचारी का पति/पत्नी उसके अकेले नाम पर।
- उपरोक्त बिंदु एफ, जी, एच और आई में उल्लिखित एक मृत पूर्व कर्मचारी/अधिकारी की पत्नी।
- एक संघ या एक निधि, जिसके सभी सदस्य हमारे बैंक कर्मचारी हैं।
- एक निर्दिष्ट अवधि के अनुलग्नक पर नियोजित व्यक्ति अनुलग्नक की अवधि समाप्त होने तक अपनी जमा राशि पर अधिमान्य ब्याज दर के लिए पात्र है।
- समामेलन की किसी भी योजना के अनुसरण में लिया गया कर्मचारी अपनी जमा राशि पर अधिमान्य ब्याज दर के लिए पात्र है। हालांकि, ऐसे मामलों में, अतिरिक्त ब्याज की अनुमति केवल तभी दी जाएगी

जब अतिरिक्त ब्याज के साथ अनुबंधित दर पर ब्याज उस दर से अधिक न हो जो ऐसे कर्मचारियों को मूल रूप से बैंक द्वारा नियोजित होने पर अनुमति दी गई होती।

संयुक्त जमा के सभी मामलों में जहां हमारा कर्मचारी जमाकर्ताओं में से एक है, उसे अधिमान्य ब्याज दर के पात्र होने के लिए अनिवार्य रूप से पहला नामित जमाकर्ता होना चाहिए और एनएफ-118 (अनुलग्नक) में एक घोषणापत्र देना होगा कि जमा किया गया पैसा उसका है।

(II) संयुक्त जमा के प्रयोजन के लिए, "परिवार" शब्द का अर्थ होगा और इसमें शामिल होंगे:

a) कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी के पति या पत्नी।

b) कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी के बच्चे, माता-पिता, भाई और बहन, जो ऐसे कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी पर निर्भर हैं।

"हालांकि, ""परिवार"" शब्द में कानूनी रूप से अलग हो चुके पति या पत्नी शामिल नहीं होंगे।"

(III) निम्नलिखित प्रकार की जमाराशियां अधिमान्य ब्याज दर के लिए पात्र नहीं हैं:

- एन. आर. ई., एफ. सी. एन. आर. और आर. एफ. सी. सावधि जमा।
- दूसरों के साथ संयुक्त रूप से की गई जमा राशि [ऊपर बिंदु II में परिभाषित परिवार के सदस्यों के अलावा]।
- अनुलग्नक पर कर्मचारियों की जमा राशि।
- अयोग्य पूर्व कर्मचारियों और उनकी विधवाओं की जमा राशि।
- उन कर्मचारियों की जमा राशि जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है [जो ऊपर बिंदु I(f), I(g), I(h) और I(i) में उल्लिखित नहीं हैं] या जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप बर्खास्त कर्मचारियों/अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा राशि।
- अस्थायी कर्मचारियों की जमा राशि।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति अपनी जमा राशि पर अधिमान्य ब्याज दर के लिए पात्र है। हालांकि, निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिए गए व्यक्तियों के मामले में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर यह लाभ प्राप्त होना बंद हो जाएगा।
- अतिरिक्त ब्याज तभी तक देय होगा जब तक व्यक्ति इसके लिए पात्र बना रहता है और यदि वह योग्य नहीं रहता है, तो सावधि जमा खाते के मामले में जमा की परिपक्वता तक यह प्रावधान निम्नलिखित स्पष्टीकरण देता है:

- ✚ अतिरिक्त ब्याज का लाभ जमाकर्ता द्वारा बैंक के पास रखी गई सावधि जमा [आवर्ती जमा सहित] तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, भले ही वह जमा की अवधि के दौरान बैंक का कर्मचारी बन जाए।
- ✚ अतिरिक्त ब्याज का लाभ सावधि जमा खाते [आवर्ती जमा सहित] की परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है, भले ही जमाकर्ता-कर्मचारी जमा की अवधि के दौरान बैंक का कर्मचारी न रहा हो।
- ✚ उपरोक्त दोनों मामलों में, जमा खाते की अवधि के दौरान ब्याज दर में किसी भी बदलाव को शामिल किए बिना अनुबंधित ब्याज दर को परिपक्वता तक बढ़ाया जाना जारी रहेगा।
- ✚ किसी व्यक्तिगत नाबालिग के खाते के मामले में, कर्मचारी केवल एक संरक्षक के रूप में हस्ताक्षर करेगा और इसलिए यह अधिमानी ब्याज दर के लिए पात्र नहीं है। अगर कर्मचारी एक संयुक्त जमाकर्ता के रूप में जमा करने वाला एक पक्षकार है और वह यह घोषणापत्र देता है कि जमा की गई राशि उसी की है, तभी वह उक्त खाते पर अधिमानी ब्याज दर के लिए पात्र होगा।

- ✚ अधिमान्य ब्याज दर के लिए पात्र सभी जमाओं के संबंध में, प्रत्येक नए पात्र सावधि जमा के लिए एनएफ118 में यह घोषणापत्र ज़रूर लिया जाना चाहिए कि जमा की गई धनराशि कर्मचारी / कर्मचारियों की है। एनएफ-118 का एक प्रारूप इस परिपत्र के अनुलग्नक के रूप में प्रदान किया गया है।
- ✚ निम्नलिखित मामलों में, एनएफ-118 में घोषणापत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते, मूल / पिछले जमा या संबंधित कर्मचारी के ऑपरेटिव खाते के लिए घोषणापत्र पहले ही प्राप्त कर लिया हो:
 - i. अतिदेय जमा का नवीनीकरण [केवल तभी जब नवीनीकृत राशि अर्जित ब्याज के अलावा पिछली जमा की राशि के समान हो]।
 - ii. जमा की अवधि बढ़ाना [बशर्ते ब्याज के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त राशि स्वीकार न की जाय]।
 - iii. जमा संबंधित कर्मचारी के ऑपरेटिव खाते से धन हस्तांतरण करके खोला गया हो।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया आईसी/92/2024 दिनांक 15.02.2024 देखें।

सेवा शुल्क में रियायतें

बैंक के पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो बिना किसी कमीशन, डाक शुल्क और अन्य शुल्क के जमाओं पर अधिमान्य ब्याज दर के लिए पात्र हैं।

- डुप्लिकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, रद्द करना और जारी करना
- सभी बाहरी और स्थानीय लिखतों का संग्रह, जमा रसीदें, जमा खातों का हस्तांतरण, बशर्ते कि विचाराधीन लिखत उनके नाम पर जारी किए गए हों (उनके पक्ष में पृष्ठांकित न किए गए हों)-
- डुप्लिकेट पासबुक, पास-शीट और जमा रसीदें जारी करना।
- उनके पक्ष में आहरित विदेशी मुद्रा लिखतों का संग्रह (उनके पक्ष में पृष्ठांकित न किए गए हों)। इसमें भारतीय रुपये में विदेश से भेजी गई रकम भी शामिल है।
- उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में निम्नलिखित शुल्क लागू नहीं होंगे।
 - i. अपने व्यक्तिगत क्षमता में ओवर ड्राफ्ट खातों के लिए लेजर फोलियो शुल्क।
 - ii. स्थायी निर्देशों को पूरा करने के लिए शुल्क
 - iii. ऋण के लिए गिरवी रखी गई अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में सुरक्षित अभिरक्षा शुल्क
 - iv. उनके व्यक्तिगत क्षमता में उन्हें दिए गए ऋण/अग्रिमों के लिए प्रसंस्करण शुल्क।
 - v. अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध स्वीकृत ओवरड्राफ्ट (व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए) के लिए प्रसंस्करण शुल्क (भले ही खाते उनके करीबी रिश्तेदारों के साथ उनके संयुक्त नाम से हों)
- पूर्व कर्मचारियों को एटीएम/डेबिट कार्ड, आरडी खाता खोलने के एक वर्ष के भीतर उसे बंद करने पर लगने वाले शुल्क, सीबीएस शुल्क/आरटीजीएस/एनईएफटी/नेट बैंकिंग शुल्क पर वार्षिक शुल्क माफ किया जाता है।
- निम्नलिखित सेवा शुल्क माफ किए गए हैं:
 - i. उनके एसबी खातों में औसत मासिक शेष बनाए रखना
 - ii. ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट/संदेश के लिए शुल्क
 - iii. पूर्व कर्मचारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, निष्क्रिय खातों के लिए तिमाही सेवा शुल्क।
 - iv. पते की पुष्टि/ सत्यापन
 - v. मोबाइल नंबर/ ई-मेल/ पता बदलने का अनुरोध।
 - vi. परिचालन निर्देशों को संशोधित करने के लिए अनुरोध
 - vii. कोई भी भेजे जाने योग्य जो नकारात्मक प्रतिक्रिया (ऐसी कोई परेषिती/परेषिती अलग-अलग पते पर स्थानांतरित नहीं की गई) के कारण कूरियर/मेल द्वारा शाखाओं को वापस लौटा दिया जाए- उदाहरण के लिए: चेक बुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक नोटिस शाखा को वापस कर दिया गया हो।

viii. उन खाताधारकों के लिए आहरण पर्ची जारी करना जिनके पास चेक बुक है।

पूर्व कर्मचारियों को लॉकर किराए में रियायत:

मृत कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के पति/पत्नी, छोटे और मध्यम लॉकरों के किराए पर 50% रियायत और बड़े और बहुत बड़े लॉकरों पर 25% रियायत के लिए पात्र हैं।

आभूषण ऋण पर प्रसंस्करण शुल्क की छूट:

पूर्व कर्मचारी स्वर्ण ऋण प्राप्त करते समय प्रसंस्करण शुल्क की छूट के हकदार हैं। वर्तमान में, स्वर्ण ऋण खातों पर प्रसंस्करण शुल्क लगाया जा रहा है और ऐसे सभी शुल्क ऊर्ध्वधर स्तर पर वापस कर दिए जाते हैं। हालांकि टीओ वर्टिकल ने पहले से ही खाता स्तर पर प्रसंस्करण शुल्क को माफ करने के लिए वर्टिकल के साथ प्रणाली स्तर पर बदलाव लागू करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है और इस पर काम चल रहा है।

हालांकि, आभूषण मूल्यांकक शुल्क तृतीय-पक्ष इकाई सेवा शुल्क होने के नाते, पूर्व कर्मचारी द्वारा वहन किया जाना है, जैसा कि मौजूदा कर्मचारी स्वर्ण ऋण योजना पर लागू होता है।

हमारे पूर्व कर्मचारियों के लिए एसबी पूर्व स्टाफ जीवनधारा - डायमंड" और "एसबी एक्सस्टाफ जीवनधारा - प्लेटिनम"

एसबी पूर्व-कर्मचारी जीवनधारा- डायमंड (1625)		
योग्यता	पेंशनभोगी/संभावित पेंशनभोगी, जिसमें स्वैच्छिक या सामान्य आधार पर सेवानिवृत्त हुए सभी पूर्व कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने हमारे बैंक के पूर्व कर्मचारियों के खाते में अपनी पेंशन जमा करने के लिए जनादेश दिया है। खाता अधिमानतः केवल पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जाएगा, जिसमें पूर्व/उत्तरजीवी के परिचालन निर्देश होंगे। हालांकि, लाभ पेंशनभोगी के रूप में पहले धारक को मिलेगा। खाता पेंशनभोगी के एकल नाम से भी खोला जा सकता है।	
प्रारंभिक शेष	शून्य	
न्यूनतम शेष राशि	न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं	
उत्पाद कोड	1625	
अपनी जमाराशियों पर ऋण	मौजूदा स्टाफ दिशानिर्देश/योजना दिशानिर्देशों के अनुसार	
मासिक पेंशन क्रेडिट	50000 रुपये तक की मासिक पेंशन	
डेबिट कार्ड	रूपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड	
	एटीएम नकद निकासी	100000 रु. प्रति दिन
	डेबिट कार्ड शुल्क/ एएमसी	निःशुल्क
	एटीएम लेनदेन	हमारे बैंक के एटीएम पर निःशुल्क असीमित। अन्य बैंकों में लेनदेन - मेट्रो शहरों में 3; गैर-मेट्रो शहरों में 5
	हवाई अड्डा लाउंज (घरेलू हवाई अड्डा)	प्रति तिमाही 2

	हवाई अड्डा लाउंज (अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा)	प्रति वर्ष 2
क्रेडिट कार्ड	जारी करना	निःशुल्क
	एमसी	निःशुल्क
एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग/एसएमएस अलर्ट/आईएमपीएस/डीडी	निःशुल्क	
लॉकर सुविधा	25% रियायत. (आवंटन प्राथमिकता उपलब्धता के आधार पर)	
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई)/हवाई दुर्घटना बीमा (एएआई) कवर*	पीएआई 16 लाख, रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड सहित एएआई 20 लाख। पेंशनभोगी की आयु 65 वर्ष होने तक बीमा उपलब्ध रहेगा।	
स्वास्थ्य बीमा	सहयोगी साझेदारों से स्वास्थ्य बीमा नीति।	
दवा के लिए रियायत	वर्तमान में ai1 ऐप के माध्यम से समय-समय पर बैंक टाई-अप के अनुसार 25% तक।	
प्रसंस्करण शुल्क	पेंशन ऋण के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं। एचएल, वीएल ऋण के लिए 25% प्रसंस्करण शुल्क की छूट दी जा सकती है।	
ऋण सुविधा	मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केनरा पेंशन ऋण। इसके अलावा, इस योजना को ऋण सीमा की टॉपअप सुविधा के साथ संशोधित किया जा सकता है जहां कभी भी सीमा/शेष राशि 50% और / या चुकौती अवधि का आधा हिस्सा समाप्त हो जाता है। (चुकौती में कोई अनियमितता न हो, और योजना के अनुसार पात्र हो, जो अधिकतम सीमा/आयु प आधारित हो)।	
तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा	ओवरड्राफ्ट सुविधा कम से कम लगातार 2 महीनों के लिए पेंशन के नियमित क्रेडिट पर निर्भर होगी। <ul style="list-style-type: none"> ओवरड्राफ्ट सुविधा: खाते में जमा की गई दो महीने की शुद्ध पेंशन, जो अधिकतम 1,00,000 / - रुपये तक हो सकती है। लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु: 75 वर्ष। मोबाइल बैंकिंग - ai1 ऐप / शाखाओं के माध्यम से लाभ उठाया जा सकता है। 60 दिनों के लिए वैध। ब्याज दर: आरएलएलआर + 2.50% प्रति वर्ष (मासिक आधार पर)। ग्राहक के अनुरोध पर केनरा पेंशन ऋण के लिए विकल्प उपलब्ध है। 	
टीडी	स्वीप इन / स्वीप आउट सुविधा उपलब्ध है	
विविध सेवा	फॉर्म 16- एआई1 के माध्यम से डाउनलोड करने के अलावा, सीपीपीसी के माध्यम से कूरियर/डाक के माध्यम से भौतिक प्रति की मुफ्त डिलीवरी की जानी है। ऑन लाइन 15जी/15एच अपडेशन। पेंशन स्लिप एसएमएस/ईमेल के माध्यम से भी तैयार की जा सकती है।	
व्यक्तिगत चेक बुक	प्रति वर्ष 60 पृष्ठ तक नाम मुद्रित किया जाता है।	
प्रमाणपत्र अद्यतन	जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा मुफ्त में दी जा सकती है, इसके अलावा ai1 ऐप के ज़रिए जीवन प्रमाण भी उपलब्ध है। जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर एसएमएस के माध्यम से पावती/अनुस्मारक।	

	<p>पुनर्नियुक्ति, पुनर्विवाह आदि जैसे अन्य प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी वीडियो जीवन प्रमाण पत्र में उपलब्ध है।</p> <p>शाखाओं को मुद्रित प्रपत्रों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) और जीवन प्रमाण पत्र (एलसी) स्वीकार करने की सुविधा होगी।</p>
शारीरिक रूप से विकलांग/अक्षम	शारीरिक रूप से विकलांग/अक्षम और शाखा में उपस्थित होने में असमर्थ पेंशनभोगियों के लिए विशेष सुविधा। ऐसे मामलों में बैंक अधिकारी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से पेंशनभोगी के निवास / अस्पताल का दौरा करते हैं।
सुवाह्यता/ पोर्टेबिलिटी	<p>किसी भी उत्पाद कोड के तहत खोले गए मौजूदा पेंशन खाते, जिसमें मौजूदा जीवनधारा भी शामिल है, ग्राहक अनुरोध के अनुसार नए संस्करणों "एसबी पूर्व-कर्मचारी जीवनधारा-डायमंड" और "एसबी-पूर्व-कर्मचारी जीवनधारा-प्लैटिनम" में पोर्ट किए जा सकते हैं।</p> <p>पेंशन उत्पाद के भीतर सुवाह्यता/पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है। सामान्य उत्पादों के लिए रिवर्स पोर्टेबिलिटी भी उपलब्ध है।</p>

एसबी पूर्व कर्मचारी जीवनधारा प्लैटिनम (1626)

योग्यता	<p>पेंशनभोगी/संभावित पेंशनभोगी, जिसमें स्वेच्छिक या सामान्य आधार पर सेवानिवृत्त हुए सभी पूर्व कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने हमारे बैंक के पूर्व कर्मचारियों के खाते में अपनी पेंशन जमा करने के लिए जनादेश दिया है।</p> <p>खाता अधिमानतः केवल पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जाएगा, जिसमें पूर्व/उत्तरजीवी के परिचालन निर्देश होंगे। हालांकि, लाभ पेंशनभोगी के रूप में पहले धारक को मिलेगा। खाता पेंशनभोगी के एकल नाम से भी खोला जा सकता है।</p>	
प्रारंभिक शेष राशि	शून्य	
न्यूनतम शेष राशि	न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं	
उत्पाद कोड	1626	
अपनी जमाराशियों पर ऋण	मौजूदा स्टाफ दिशानिर्देश/योजना दिशानिर्देशों के अनुसार	
मासिक पेंशन क्रेडिट	50000 रुपये तक की मासिक पेंशन	
डेबिट कार्ड	रूपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड	
	एटीएम नकद निकासी	100000 रु. प्रति दिन
	डेबिट कार्ड शुल्क/ एएमसी	निःशुल्क
	एटीएम लेनदेन	हमारे बैंक के एटीएम पर निःशुल्क असीमित। अन्य बैंकों में लेनदेन - मेट्रो शहरों में 3; गैर-मेट्रो शहरों में 5
	हवाई अड्डा लाउंज (घरेलू हवाई अड्डा)	प्रति तिमाही 2
	हवाई अड्डा लाउंज (अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा)	प्रति वर्ष 2
क्रेडिट कार्ड	जारी करना	निःशुल्क
	एएमसी	निःशुल्क
एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग/एसएमएस अलर्ट/आईएमपीएस/डीडी	निःशुल्क	
लॉकर सुविधा	50% रियायत. (आवंटन प्राथमिकता उपलब्धता के आधार पर)	
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई)/हवाई दुर्घटना बीमा (एएआई) कवर*	पीएआई 24 लाख, रूपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड सहित एएआई 30 लाख। पेंशनभोगी की आयु 65 वर्ष होने तक बीमा उपलब्ध रहेगा।	
स्वास्थ्य बीमा	सहयोगी साझेदारों से स्वास्थ्य बीमा नीति।	
दवा के लिए रियायत	वर्तमान में ai1 ऐप के माध्यम से समय-समय पर बैंक टाई-अप के अनुसार 25% तक।	

प्रसंस्करण शुल्क	पेंशन ऋण के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं। एचएल, वीएल ऋण के लिए 50% प्रसंस्करण शुल्क की छूट दी जा सकती है।
ऋण सुविधा	मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केनरा पेंशन ऋण। इसके अलावा, इस योजना को ऋण सीमा की टॉपअप सुविधा के साथ संशोधित किया जा सकता है जहां कभी भी सीमा/शेष राशि 50% और / या चुकौती अवधि का आधा हिस्सा समाप्त हो जाता है। (चुकौती में कोई अनियमितता न हो, और योजना के अनुसार पात्र हो, जो अधिकतम सीमा/आयु पर आधारित हो)।
तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा	ओवरड्राफ्ट सुविधा कम से कम लगातार 2 महीनों के लिए पेंशन के नियमित क्रेडिट पर निर्भर होगी। • ओवरड्राफ्ट सुविधा: खाते में जमा की गई दो महीने की शुद्ध पेंशन, जो अधिकतम 2,00,000 / - रुपये तक हो सकती है। • लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु: 75 वर्ष। • मोबाइल बैंकिंग - ai1 ऐप / शाखाओं के माध्यम से लाभ उठाया जा सकता है। • 90 दिनों के लिए वैध। • ब्याज दर: आरएलएलआर + 2.50% प्रति वर्ष (मासिक आधार पर)। • ग्राहक के अनुरोध पर केनरा पेंशन ऋण के लिए विकल्प उपलब्ध है।
टीडी	स्वीप इन / स्वीप आउट सुविधा उपलब्ध है
विविध सेवा	फॉर्म 16- एआई1 के माध्यम से डाउनलोड करने के अलावा, सीपीपीसी के माध्यम से कूरियर/डाक के माध्यम से भौतिक प्रति की मुफ्त डिलीवरी की जानी है। ऑन लाइन 15जी/15एच अपडेशन। पेंशन स्लिप एसएमएस/ईमेल के माध्यम से भी तैयार की जा सकती है।
व्यक्तिगत चेक बुक	असीमित चेक पत्रे निःशुल्क
प्रमाणपत्र अद्यतन	जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा निःशुल्क में दी जा सकती है, इसके अलावा ai1 ऐप के ज़रिए जीवन प्रमाण भी उपलब्ध है। जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर एसएमएस के माध्यम से पावती/अनुस्मारक। पुनर्नियुक्ति, पुनर्विवाह आदि जैसे अन्य प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी वीडियो जीवन प्रमाण पत्र में उपलब्ध है। शाखाओं को मुद्रित प्रपत्रों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) और जीवन प्रमाण पत्र (एलसी) स्वीकार करने की सुविधा होगी।
शारीरिक रूप से विकलांग/अक्षम	शारीरिक रूप से विकलांग/अक्षम और शाखा में उपस्थित होने में असमर्थ पेंशनभोगियों के लिए विशेष सुविधा। ऐसे मामलों में बैंक अधिकारी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से पेंशनभोगी के निवास / अस्पताल का दौरा करते हैं।
सुवाह्यता/ पोर्टेबिलिटी	किसी भी उत्पाद कोड के तहत खोले गए मौजूदा पेंशन खाते, जिसमें मौजूदा जीवनधारा भी शामिल है, ग्राहक अनुरोध के अनुसार नए संस्करणों "एसबी पूर्व-कर्मचारी जीवनधारा-डायमंड" और "एसबी-पूर्व-कर्मचारी जीवनधारा-प्लैटिनम" में पोर्ट किए जा सकते हैं। पेंशन उत्पाद के भीतर सुवाह्यता/पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है। सामान्य उत्पादों के लिए रिवर्स पोर्टेबिलिटी भी उपलब्ध है।

"केनरा एंजेल" - महिला विशेष बचत खाता

- ✚ महिला कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों को उत्पाद कोड लैवेंडर - 1628, रोज - 1629, ऑर्किड - 1630 के तहत केनरा एंजेल खाता खोलने की अनुमति है।
- ✚ योग्य ग्राहक प्रकार: खाता खोलने की तारीख पर 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु की सभी महिलाएं - व्यक्तिगत / वरिष्ठ नागरिक / नेत्रहीन / निरक्षर / महिला - कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी।

- ✚ आवश्यक तिमाही औसत शेष (क्यूएबी) के साथ केनरा एंजेल के तहत तीन संस्करण हैं:

प्रकार	लैवेंडर	रोज	ऑर्किड
न्यूनतम क्यूएबी	5,000 रु.	30,000 रु.	1,00,000 रु.

- ✚ केनरा एंजेल खाताधारक को मिलने वाली प्रीमियम सुविधाओं में शामिल हैं:

1. शहरी कंपनी, बुकमाईशो, मित्रा, स्विगी और अमेज़न जैसी शीर्ष ई-कॉम साइट्स पर ऑफ़र।
2. कैंसर देखभाल सुरक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर।
3. प्राथमिक खाताधारक को 20 लाख (कार्ड-आधारित बीमा के अलावा) तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर।
4. एसएमएस अलर्ट, आईएमपीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी और लॉकर संचालन पर शून्य सेवा शुल्क।
5. निःशुल्क एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए पात्र - 2 तिमाही में 2 घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और सालाना 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (भाग लेने वाले लाउंज रुपये वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्र.का. परिपत्र सं. आईसी/313/2024 दिनांक 12.04.2024 देखें।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति/पत्नी को आईबीए चिकित्सा बीमा व्यय की प्रतिपूर्ति (प्रूफ दिखाने पर)

- ✚ बैंक के वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 31.03.2025 को या उससे पहले बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति या पत्नी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या उनके पति या पत्नी जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।
- ✚ निम्नलिखित व्यक्ति इस योजना के तहत योग्य नहीं हैं: a. ऐसे कर्मचारियों जिन्हें कदाचार के आधार पर सेवा से निकाला गया है / बर्खास्त किया गया है/ अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है / सेवा समाप्त की गई है। b. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने बैंक की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया है और पेंशन नहीं ले रहे हैं।
- ✚ उपर्युक्त योग्य पूर्व कर्मचारियों/ ऐसे मृत पूर्व कर्मचारियों के पति/पत्नी को वर्ष 2025-26 के लिए उनके द्वारा किए गए आईबीए चिकित्सा बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ✚ इस मद के तहत प्रतिपूर्ति अधिकतम 6200 रुपये तक होगी।
- ✚ इस मद के तहत प्रतिपूर्ति का खर्च वर्ष 2025.-26 के दौरान किया गया होना चाहिए।
- ✚ प्रतिपूर्ति सीधे उन सेवानिवृत्त लोगों के खाते में जमा की जाएगी जिन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए आईबीए चिकित्सा बीमा पॉलिसी ली है।

(या)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति/पत्नी, जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें घोषणापत्र के आधार पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

- ✚ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति या पत्नी जो 31.03.2025 को या उससे पहले बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति या पत्नी जो मर चुके हैं और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं/ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति या पत्नी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या उनके पति या पत्नी जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।
- ✚ निम्नलिखित व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं: a. ऐसे कर्मचारियों जिन्हें कदाचार के आधार पर सेवा से निकाल दिया गया है / बर्खास्त कर दिया गया है / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है /

सेवा समाप्त कर दी गई है। b. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने बैंक की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया है और पेंशन नहीं ले रहे हैं।

- ✚ इस मद के तहत प्रतिपूर्ति अधिकतम 4,200/- रुपये तक की होगी। इस मद के तहत खर्चों की प्रतिपूर्ति घोषणापत्र के आधार पर की जाएगी।
- ✚ मृत कर्मचारियों के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पति/पत्नी को अपनी घोषणा/दावा संबंधित अंचल कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनकी पेंशन भुगतान शाखा जुड़ी हुई है, जिसमें पेंशन खाता संख्या जैसे विवरण की विधिवत सूचना दी गई है, जिसमें राशि जमा की जानी है। दावा 28.02.2026 को या उससे पहले किया जाना चाहिए। अंचल कार्यालय दावे को प्रोसेस करेगा और उसे पूर्व कर्मचारी के पति या पत्नी को वितरित करेगा जो 27.02.2026 से पहले डेबिट सामान्य शुल्क - कर्मचारी कल्याण योजना व्यय द्वारा निर्दिष्ट अपने पेंशन खाते में क्रेडिट के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है

पात्र पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी ऑनलाइन माध्यम से भी दावा प्रस्तुत कर सकते हैं जो केनरा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

डिस्पेंसरी:

वर्तमान में डिस्पेंसरी की सुविधा अंचल कार्यालय, प्रधान कार्यालय, प्रधान कार्यालय अनुलग्नक में उपलब्ध है। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित मासंप्र अनुभागों से संपर्क किया जा सकता है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को वसूली एजेंट के रूप में नियुक्त करना

- ✚ केनरा बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंक के वसूली एजेंट के रूप में छोटे मूल्य के एनपीए खातों, संदेहास्पद और हानि वाले परिसंपत्तियों की वसूली के लिए प्रेरक विधि के माध्यम से शामिल करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- ✚ जो व्यक्ति/एजेसी हमारे बैंक के वसूली एजेंट के रूप में कार्य करना चाहती है, उसे संबंधित शाखा को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा और शाखा को दिशानिर्देशों में निर्धारित निम्नलिखित पूर्व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद सिफारिश के साथ इसे संबंधित अंचल को अग्रेषित करना होगा:

- i. वसूली एजेंट को आईआईबीएफ या उनके संबद्ध संस्थानों या हमारे एलडीसी, बैंगलूरु से नीचे दिया गया प्रशिक्षण लेना होगा:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए
केनरा बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आईआईबीएफ द्वारा आयोजित 100/50 घंटे के प्रशिक्षण के प्रावधान से छूट दी गई है।	वसूली एजेंट को आईआईबीएफ या हमारे एसटीसी, बैंगलूरु सहित उनके संबद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित 100/50 घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा और इसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आकर्षित करने के लिए, हमारा 'स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, बैंगलोर' बिना किसी नुकसान या लाभ के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस संबंध में, अंचल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एसटीसी, बैंगलूरु के साथ काम कर सकता है;

- ii. पुलिस सत्यापन सहित वसूली एजेंट के पूर्ववृत्त का सत्यापन बैंक द्वारा किया जाना है;
- iii. शाखा को उनके द्वारा अनुशंसित वसूली एजेंटों की उचित जांच करनी होगी;
- iv. यदि सूचीबद्ध किया जाने वाला वसूली एजेंट उपरोक्त के अलावा, केनरा बैंक का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो अंचल कार्यालय, नीचे बताए अनुसार एक निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा::
 - a) यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे बैंक का कार्यपालक था, तो ऐसे विभागों/स्थानों के विवरण के साथ मंजूरी प्रमाणपत्र (बेदाग ट्रेक रिकॉर्ड वाले) मानव संसाधन विभाग, प्र.का. से प्राप्त किया जाएगा।
 - b) अन्य सभी मामलों में, संबंधित मासंप्र अनुभाग, अंचल कार्यालय से बैंक में उन विभागों/स्थानों का विवरण सहित मंजूरी प्रमाण पत्र (जिसका बेदाग ट्रेक रिकॉर्ड हो) प्राप्त किया जाएगा, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अंतिम बार काम किया था।
- v. वसूली एजेंट को बैंक के नियमों और शर्तों वाले एक समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी;
- vi. वसूली एजेंट `50,000 / - के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी / अनुमोदित सुरक्षा जमा देगा।
 - ✚ बैंक के वसूली एजेंटों के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पैनेल बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।
 - ✚ अधिक जानकारी के लिए, नवीनतम ऋण वसूली नीति, प्र.का. परिपत्र संख्या 218/2025 दिनांक 27.03.2025 देखें।

सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार लेने की अनुमति

केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 50 और केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अनुसार, एक कर्मचारी जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले बैंक में अधिकारी के पद पर था, उसे पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, यदि वह सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक रोजगार लेने का इरादा रखता है। अधिक जानकारी के लिए, उपरोक्त नियमों का उल्लेख किया जा सकता है।

निर्धारित प्रारूप के लिए संबंधित व्यक्ति hoir@canarabank.com पर या अंचल कार्यालय के संबंधित मासंप्र अनुभाग से अनुरोध कर सकते हैं।

विधिक सहायता

यह योजना बैंक के सभी कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों, वर्तमान/पूर्व निदेशकों, जिनमें प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अथवा त्यागपत्र दे चुके निदेशक भी शामिल हैं, के लिए उपलब्ध है, जिन्हें अपनी सेवा अवधि/कार्यकाल के दौरान बैंक के कार्य के सद्भावनापूर्वक निष्पादन से उत्पन्न मामलों के विरुद्ध न्यायालय में सीबीआई/सीवीसी/पुलिस इत्यादि जैसी सरकारी एजेंसियों सहित तीसरे पक्ष अथवा एजेंसियों/संगठनों द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध स्वयं का बचाव करने की आवश्यकता होती है। इस योजना में यौन उत्पीड़न, एससी/एसटी अधिनियम आदि के तहत अत्याचार आदि के तहत शुरू की गई तुच्छ कानूनी कार्रवाइयां/शिकायतें भी शामिल हैं।

इसके अलावा, सभी व्यावसायिक समूहों में सभी शाखाओं/कार्यालयों में बैंक के सभी कर्मचारी/अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी (अधि-आयु या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त), प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी/अधिकारी और त्यागपत्र के बाद कर्मचारी/अधिकारी, जो वसूली प्रयासों में लगे हुए थे या आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की थी, वे सभी इसमें शामिल होंगे। डिफॉल्टरों द्वारा दायर किए गए सभी मामले या एनपीए वसूली के संबंध में बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध दायर किए गए मामले भी इसमें शामिल किए जाएंगे।

योजना के अनुसार, बैंक ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों/निदेशकों द्वारा स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के बाद भी उठाए जाने वाले सभी कानूनी व्यय जैसे अदालती शुल्क, अधिवक्ता शुल्क (वरिष्ठ अधिवक्ता की फीस सहित, यदि संलग्न हो), विविध व्यय, हकदार वर्ग के अनुसार परिवहन, प्रवास और अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान करेगा।

बैंक की ओर से अदालती जांच आदि में शामिल होने के लिए टीए/एचए:

बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय टीए/एचए के संबंध में दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

परिस्थितियाँ		
आधिकारिक कृत्यों के लिए कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस/सीबीआई द्वारा दायर मामले	अभियुक्त के रूप में	नहीं।
	बैंक की ओर से गवाह के रूप में	हाँ
	कर्मचारी की ओर से गवाह के रूप में	नहीं।
कर्मचारी द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए मामले	याचिकाकर्ता के रूप में	नहीं।
	बैंक की ओर से गवाह के रूप में	हाँ
	कर्मचारी की ओर से गवाह के रूप में	नहीं।
बाहरी व्यक्ति/ग्राहक आदि द्वारा आधिकारिक कार्यों से संबंधित मामले।	अभियुक्त के रूप में *	नहीं*
	बैंक की ओर से गवाह के रूप में	जी
	कर्मचारी की ओर से गवाह के रूप में	नहीं

पात्र मामलों में टीए/एचए के लिए पात्रता उस संवर्ग पर लागू होगी जिसमें अधिकारी कर्मचारी आखिरी बार काम कर रहा था।

*केवल तभी जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी सहायता की अनुमति दी जाए।

मृत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/पति/पत्नी के लिए आईबीए ग्रुप चिकित्सा बीमा योजना:

ऐसे मृत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/पति/पत्नी के लिए आईबीए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की गई थी 01.11.2015. वर्ष 2020-21 के बाद से, मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस सुविधा के उद्देश्य के लिए प्रमुख बीमाकर्ता है और वे पॉलिसी का प्रबंधन करेंगे और दावों के निपटान के लिए जिम्मेदार हैं। बीमा कंपनी द्वारा सूचित प्रीमियम (2020-21 के बाद से, मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रमुख बीमाकर्ता हैं) पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए पूर्व कर्मचारी द्वारा देय होगा। पॉलिसी का नवीनीकरण हर साल 1 नवंबर को देय होगा।

इस प्रकार, हर साल, मृत कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के पूर्व कर्मचारी/पति/पत्नी अक्टूबर के महीने के दौरान अपनी सहमति देंगे और पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए खाते में शेष राशि बनाए रखेंगे। वे पात्र सेवानिवृत्त/पति/पत्नी जो निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजकर और निर्धारित राशि का भुगतान करके अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, उन्हें नीति के तहत शामिल किया जाएगा।

परेशानी मुक्त निगरानी और दावा निपटान के लिए बीमा कंपनी तीसरे पक्ष के प्रशासक (टीपीए) के माध्यम से और इस साल सेवानिवृत्त लोगों की नीति के लिए मेसर्स रक्षा स्वास्थ्य बीमा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से

पॉलिसी का प्रशासन करेगी। लिमिटेड को तीसरे पक्ष के प्रशासकों के रूप में नामित किया गया है और वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी के दावों को संसाधित करेंगे।

जिन सेवानिवृत्त लोगों ने नियत तारीख अर्थात 27.10.2025 को या उससे पहले प्रीमियम का विकल्प चुना था और भुगतान किया था उन्हें पॉलिसी में शामिल किया गया है और इसे 01.11.2025 से 31.10.2026 की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

योजना के बेहतर कामकाज और उपयोग के लिए, निम्नलिखित विवरण दोहराई जा रही हैं:

1. सुपर टॉपअप पॉलिसी के तहत कवरेज केवल मुख्य पॉलिसी बीमा राशि समाप्त होने के बाद ही शुरू होगा।
2. नीति के संदर्भ में सूचीबद्ध बीमारियों के मामले में किए गए घरेलू उपचार खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. परेशानी मुक्त निपटान के लिए, नेटवर्क अस्पतालों में से किसी एक में कैशलेस सुविधा का विकल्प चुनना बेहतर है। अन्यथा, सभी दावों के लिए टीपीए यानी मेसर्स रक्षा स्वास्थ्य बीमा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड को दावा सूचना अनिवार्य है। इस प्रकार सभी सेवानिवृत्त व्यक्ति टीपीए को एक पत्र, ई-मेल, फैक्स लिखित रूप में सूचित करेंगे, जिसमें उपचार की योजना, नीति संख्या, आदि सहित दावे से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाएगी, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर निम्नानुसार है:

कैशलेस सुविधा के मामले में दावे की अधिसूचना	टीपीए को सूचित किया जाना चाहिए
नियोजित अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में।	बीमाधारक को नेटवर्क प्रदाता/पीपीएन अस्पताल में प्रवेश से कम से कम 72 घंटे पहले।
आपातकालीन अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में।	बीमाधारक को नेटवर्क प्रदाता/पीपीएन अस्पताल में प्रवेश के 24 घंटे के भीतर।
प्रतिपूर्ति के मामले में दावे की अधिसूचना	टीपीए को सूचित किया जाना चाहिए
नियोजित अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में।	बीमाधारक को नेट-वर्क प्रदाता/गैर नेटवर्क/पीपीएन अस्पताल में प्रवेश के 48 घंटे के भीतर।
आपातकालीन अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में।	बीमाधारक को नेटवर्क प्रदाता/गैर-नेट-वर्क/पीपीएन अस्पताल में प्रवेश के 48 घंटे के भीतर।

4. दावे की प्रक्रिया:

***अधिवास व्यय आधार के साथ-साथ टॉपअप नीति दोनों आधार के तहत कवर नहीं किए जाते हैं**

नियोजित अस्पताल में भर्ती:

कैशलेस दावों की प्रक्रिया:

उपचार के लिए कैशलेस सुविधा केवल नेटवर्क अस्पतालों में बीमाधारक को उपलब्ध होगी। एक नेटवर्क प्रदाता/पीपीएन में उपचार लिया जा सकता है और टीपीए द्वारा पूर्व प्राधिकरण के अधीन है।

गैर-नेटवर्क अस्पताल में भर्ती उपचार की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

जांच करें कि क्या अस्पताल पंजीकृत है और निम्नलिखित आईआरडीएआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है और छुट्टी के समय पंजीकरण की प्रति देने को तैयार है या नहीं।

नीति के संदर्भ में, अस्पताल/नर्सिंग होम की परिभाषा निम्नानुसार है:

अस्पताल/नर्सिंग होम का अर्थ है रोगी की देखभाल और बीमारी और/या चोटों के डेकेयर उपचार के लिए स्थापित कोई भी संस्थान और जिसे क्लिनिकल स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत या उक्त अधिनियम की धारा 56 (1) की अनुसूची के तहत निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत स्थानीय अधिकारियों के साथ अस्पताल के रूप में पंजीकृत किया गया है और सभी न्यूनतम मानदंडों का अनुपालन करता है:

- जिन शहरों की आबादी 10,00,000 से कम है, उन शहरों में कम से कम 10 रोगी बिस्तर हों, और अन्य सभी स्थानों पर कम से कम 15 रोगी बिस्तर हों;
- उसके पास चौबीसों घंटे योग्य नर्सिंग स्टाफ हों;
- उसके पास चौबीसों घंटे प्रभारी चिकित्सा व्यवसायी हों;
- उसके पास अपना पूरी तरह से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर हों जहां सर्जिकल प्रक्रियाएं की जाती हैं।
- वह रोगियों के दैनिक रिकॉर्ड बनाए रखेगा और इन्हें बीमा कंपनी के अधिकृत कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगा।

5. दावा दस्तावेजों की प्रस्तुति:

गैर-नेटवर्क अस्पतालों में अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए और दावों की प्रतिपूर्ति के लिए बीमाधरक को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज टी.पी.ए. को जमा कर सकता है।

दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की समय सीमा:

दावे का प्रकार	कंपनी/टीपीए को दस्तावेज जमा करने की समय सीमा
जहां कैशलेस सुविधा को अधिकृत किया गया है	डिस्चार्ज के तुरंत बाद
अस्पताल में भर्ती होने और अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों की प्रतिपूर्ति (30 दिनों तक सीमित)	अस्पताल से छुट्टी की तारीख के 30 (तीस) दिनों के भीतर
अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्चों की प्रतिपूर्ति (90 दिनों तक सीमित)	अस्पताल में भर्ती होने के बाद उपचार पूरा होने से 30 (तीस) दिनों के भीतर

सेवानिवृत्त लोग मेसर्स रक्षा स्वास्थ्य बीमा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों में दस्तावेज जमा कर सकते हैं या यदि यह सुविधा हो तो दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से टीपीए के किसी भी कार्यालय में दिए जा सकते हैं।

6. प्रतिपूर्ति दावा जमा करने के लिए चेक लिस्ट:

अस्पताल में भर्ती प्रतिपूर्ति के मामले में, निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

- आईआरडीए ने विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र। (अनुलग्नक में दिया गया है);
- फोटो पहचान पत्र और आयु प्रमाण;
- स्वास्थ्य कार्ड, फोटो आईडी, केवाईसी दस्तावेज;

- निदान की तारीख, जांच परीक्षण रिपोर्ट आदि के साथ किए गए निदान/संचालन की प्रकृति के संबंध में चिकित्सा व्यवसायी/सर्जन के प्रमाण पत्र में भाग लेना। चिकित्सा व्यवसायी में भाग लेने के नुस्खे द्वारा समर्थित;
- मूल डिस्चार्ज कार्ड/डे केयर सारांश/ट्रांसफर सारांश;
- सभी मूल जमा और अंतिम भुगतान रसीद के साथ मूल अंतिम पूर्व क्रमांकित अस्पताल बिल;
- अस्पताल के बिल का पूरा ब्यौरा;
- सर्जरी के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी प्रत्यारोपणों के लिए भुगतान रसीद और प्रत्यारोपण स्टिकर के साथ मूल चालान, जैसे मोतियाबिंद सर्जरी में लेंस स्टिकर और चालान, एंजियोप्लास्टी सर्जरी में स्टेंट चालान और स्टिकर।
- वर्तमान बीमारी के इतिहास और उपचार का विवरण दर्शाने वाले पिछले सभी परामर्श पत्र;
- सभी मूल नैदानिक रिपोर्ट (इमेजिंग और प्रयोगशाला सहित) चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे और नैदानिक केंद्र से रसीद के साथ चालान/बिल;
- चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे के साथ सभी मूल चिकित्सा / फार्मसी बिल;
- एमएलसी/एफआईआर की प्रति-केवल दुर्घटना के मामलों में;
- मृत्यु सारांश की प्रति और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति (केवल मृत्यु दावों में);
- दुर्घटना के मामलों में ही पूर्व और पश्चात की इमेजिंग रिपोर्ट;
- बीमाधारक के चिकित्सा इतिहास, उपचार विवरण और बीमित व्यक्ति की प्रगति का विवरण देने वाली नर्सिंग शीट के साथ इनडोर केस पेपर्स की प्रति।

** उपरोक्त दस्तावेजों की सूची केवल उदाहरण के लिए है। बीमा कंपनी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता के मामले में टीपीए की दस्तावेज टीम दावा दस्तावेजों की प्राप्ति पर सेवानिवृत्त व्यक्ति से संपर्क करेगी।

अन्य विवरण बैंक की वेबसाइट पर पूर्व कर्मचारियों के पृष्ठ पर अपलोड किए गए नीति दस्तावेज में उपलब्ध हैं। तृतीय-पक्ष प्रशासक [टीपीए] का विवरण इस प्रकार है:

टी. पी. ए. का नाम	रक्षा स्वास्थ्य बीमा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड
ग्राहक सेवा के लिए डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर	040-68178537
ग्राहक सेवा ईमेल आईडी	iba@rakshatpa.com
कैशलेस टोल फ्री	040-68178537
कैशलेस के लिए ईमेल:	cashless@rakshatpa.com / cashless@mediassist.in
प्रतिपूर्ति टोल फ्री	040-68178537
रक्षा वेबसाइट	https://member.rakshatpa.com/HomeTPA.aspx

रक्षा टीपीए रीच आउट:

दावा सूचना	https://member.rakshatpa.com/HomeTPA.aspx
नेटवर्क अस्पताल	https://www.rakshatpa.com/hospital
चैट बॉट	https://play.google.com/store/apps/details?id=in.mediassist.malite
ई-कार्ड/डेस्कटॉप एप्लीकेशन	कार्ड https://member.rakshatpa.com/HomeTPA.aspx पर लॉग इन करके डाउनलोड किए जा सकते हैं (यूज़र आईडी: Empid@canara.in (Ex-123456@canara.in) (डिफ़ॉल्ट पासवर्ड: जन्म तिथि (Ex:01012024)।

दावा प्रपत्र, जांच सूची, नेटवर्क अस्पताल और मोबाइल ऐप के लिए त्वरित लिंक:

आईआरडीआई दावा प्रपत्र:	https://www.rakshatpa.com/claim-form
जांच सूची:	https://www.rakshatpa.com/assets/pdf/claim-forms/checklist.pdf
नेटवर्क अस्पताल:	https://www.rakshatpa.com/hospital
हॉक मोबाइल ऐप:	https://play.google.com/store/apps/details?id=in.mediassist.malite

धोखाधड़ी के दावे:

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई दावा किसी भी तरह से धोखाधड़ी वाला है या यदि कोई गलत बयान या घोषणा उसके समर्थन में की जाती है या उपयोग की जाती है, या यदि बीमित व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी धोखाधड़ी के साधनों या उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो इस पॉलिसी के तहत सभी लाभ और भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।

इस नीति के तहत किए गए दावों के बदले में पहले से भुगतान की गई कोई भी राशि, जो बाद में धोखाधड़ी पाई जाती है, वह सभी प्राप्तकर्ता / पॉलिसी धारक द्वारा चुकाई जाएगी, जिन्होंने वह विशेष दावा किया है और वह कंपनी को इस तरह के पुनर्भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होगा।

7. क्षेत्रीय सीमा:

इस नीति के प्रयोजन के लिए सभी चिकित्सा उपचार केवल भारत में ही किए जाएंगे।

8. नीति विवरण:

उपरोक्त नीति दिशानिर्देश केवल उदाहरण हैं और संपूर्ण नहीं हैं। मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी आईबीए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com>Quick Access>Ex-Employees> IBA Group Medical Insurance policy for Retirees पेज पर उपलब्ध है और सेवानिवृत्त व्यक्ति किसी भी विवाद / स्पष्टीकरण के मामले में सीधे टीपीए / बीमा कंपनी के साथ संपर्क कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत कर्मचारियों के पति/पत्नी जो इस पॉलिसी के तहत नामांकित हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बैंक की वेबसाइट पर पर दी गई बीमा पॉलिसी के विवरण को ध्यान से पढ़ें।

सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग पर नीति

"कर्मचारियों द्वारा ""सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/इंटरनेट ब्लॉग आदि का उपयोग-क्या करें और क्या न करें"" पर नीति बनाई गई थी, जो कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अपने विचारों को संचारित/प्रसारित करते समय अधिक जिम्मेदार होने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए बनाई गई थी। बैंक, उसके कर्मचारियों, उसके ग्राहकों या किसी भी प्रकृति की नीतियों के बारे में सार्वजनिक डोमेन, जिसका बैंक की प्रतिष्ठा / सद्भावना पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।" तदनुसार, प्रत्येक वर्ष, नीति की समीक्षा की जा रही है और कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों द्वारा अनुपालन के लिए सूचित किया जा रहा है, जिसे नवीनतम नीति संख्या नीति/67/2025 दिनांक 29.03.2025 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

अन्य बातों के अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि बैंक का कोई भी कर्मचारी किसी भी इंटरनेट साइट पर किसी भी समूह/समुदाय का निर्माण/प्रचार नहीं करेगा जो केनरा बैंक के नाम या लोगो का उपयोग करता है और/या ऐसे किसी समूह या समुदाय का सदस्य नहीं बनेगा- जब तक कि ऐसा समूह बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बनाया जाता है।

व्यक्तिगत उपयोग के लिए सोशल मीडिया/प्रोफाइल बनाने/ब्लॉग का उपयोग अनुमत है। हालांकि, यदि बैंक का कोई कर्मचारी कोई सोशल नेटवर्क प्रोफाइल/समूह बना रहा है तो वह अपने वास्तविक नाम पर ऐसी

प्रोफाइल/समूह व्यक्तिगत तौर पर बना सकता है और ऐसी प्रोफाइल केनरा बैंक के नाम पर नहीं होगी या उसमें केनरा बैंक का नाम या उसका लोगो, पुराना या नया, नहीं होगा।

इसके अलावा, उन्हें अपने नाम और व्यक्तिगत क्षमता से बनाए गए सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल/समूह पर उचित बर्ताव बनाए रखना होगा और किसी भी इंटरनेट साइट या सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी पोस्ट / राइट / व्यक्त नहीं करेंगे जिससे केनरा बैंक की प्रतिष्ठा / सद्भावना को नुकसान पहुंचे या जो उसके कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के किसी भी काम से जुड़ा हो। यदि कोई कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी उपरोक्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित विनियमों/नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई या कानून द्वारा अनुमत कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले की अधिका जानकारी के लिए, कृपया नीति संख्या नीति/67/2025 दिनांक 29.03.2025 का संदर्भ लें।

गृह पत्रिका व पुस्तकालय

केनराइट्स ऐप में एचएम एंड एल प्रकाशन

एडीएम समूह, डीआईटी विभाग के साथ मिलकर, हमने केनराइट्स ऐप में एचएम एंड एल प्रकाशनों के लिए एक लिंक बनाया है। हमारे 4 प्रकाशन अर्थात श्रेय, टुडेज़ टाइडिंग्स, एग्जीक्यूटिव डाइजेस्ट और ओकेजनल पब्लिकेशन्स अब केनराइट्स ऐप (एचएम एंड एल प्रकाशन लिंक के तहत) में नियमित रूप से अपलोड किए जा रहे हैं और इसे हमारे बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.bank.in) > **Employees and Ex Employees** > **Ex Employees** में भी उपलब्ध कराया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा श्रेयस में योगदान

हम अपनी गृह पत्रिका पत्रिका श्रेयस में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से लेख, कविता, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि के रूप में योगदान स्वीकार करते हैं। ऐसी सभी प्रविष्टियाँ लेखकों की अपनी रचना होनी चाहिए और कहीं भी प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त योगदानों की जांच एचएम एंड एल अनुभाग द्वारा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह प्रिंट के लिए तैयार हो। एक बार प्रकाशित होने के बाद, हम योगदानकर्ता को पृष्ठों की संख्या के आधार पर 1000 - 2000 रुपये का मानदेय देते हैं।

शाखा प्रमुख विशिष्ट संपर्क व्यक्ति (एसपीओसी) के रूप में और शाखाओं में शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में

शाखा प्रमुख वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की विभिन्न बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट संपर्क व्यक्ति (एसपीओसी) है, और शाखाओं में ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी भी है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया आईसी/717/2024 दिनांक 15/10/2024 का संदर्भ लें।

गृह अवकाश

गृह अवकाश की सुविधा केवल सेवानिवृत्ति/वीआरएस / एसवीआरएस पर सेवानिवृत्त हुए पूर्व कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रित स्वतंत्र रूप से इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को अनिवार्य रूप से उनके साथ रहना होगा।

वर्तमान में, बैंक के पास निम्नलिखित स्थानों पर गृह अवकाश सुविधा है:

आगरा	अयोध्या	बेंगलूरु	भुवनेश्वर
चेन्नई	दार्जिलिंग	दिल्ली	देवघर
गोवा	गुरुवायूर	गुवाहाटी	हरिद्वार
हैदराबाद	जयपुर	कन्याकुमारी	कटरा
कोडईकनाल	कोलकाता	कोलकाता II	मडिकेरी

मदुरै	महाबलेश्वर	मनाली	मंगलुरु
माउंट आबू	मुंबई	मुन्नार	मसूरी
मैसूर	नैनीताल	ऊटी	पलानी
पटना	पुरी	पोर्ट ब्लेयर	रामेश्वरम
शिमला	शिरडी	श्रीरंगम	सोमनाथ
तिरुपति	तिरुपति II	तिरुपति III	उदयपुर
वाराणसी	विशाखापट्टणम	त्रिवेंद्रम	

ऑनलाइन मॉड्यूल का एक्सेस सभी कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। लॉगिन स्टाफ नंबर और एचआरएमएस में लिंक किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी पर आधारित है। ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुँचने का लिंक है

<https://csis.canarabank.bank.in/holidayhomeweb/loginpage.aspx>

मॉड्यूल की मुख्य कार्यप्रणाली नीचे दी गई हैं:

- ❖ कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी द्वारा किसी विशेष तिथि/अवधि के लिए केवल एक गृह अवकाश और एक कमरा बुक किया जा सकता है।
- ❖ केवल 4 सदस्यों (कर्मचारी/पूर्व- कर्मचारी सहित 3 आश्रित/करीबी रिश्तेदारों) के लिए बुकिंग की जा सकती है। सफल बुकिंग होने पर, कमरे का किराया एचआरएमएस में लिंक किए गए कर्मचारी के अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाएगा।
- ❖ आगमन पर, यानी चेक-इन की तारीख पर, अगर कमरे खाली हैं, तो कर्मचारी/पूर्व-कर्मचारी बुकिंग पेज में 'माई बुकिंग्स' टैब के तहत दूसरे आश्रितों/करीबी रिश्तेदारों के लिए एक और अतिरिक्त कमरा बुक कर सकते हैं। अतिरिक्त कमरे का किराया एचआरएमएस में लिंक किए गए कर्मचारी/पूर्व-कर्मचारी के अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाएगा।
- ❖ कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी ठहरने की अवधि बढ़ा या घटा सकते हैं और बुकिंग रद्द भी कर सकते हैं। अवधि बढ़ाने पर, अतिरिक्त कमरे के किराए की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी और एकत्र की जाएगी। अवधि कम करने या रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- ❖ कमरा बुक करते समय, यदि किसी तकनीकी कारण से भुगतान विफल हो जाता है, तो कमरा ब्लॉक हो जाएगा और इसकी पुष्टि नहीं की जाएगी। उपयोगकर्ता को ब्लॉक होने के चार घंटे के भीतर भुगतान करना होगा अन्यथा ब्लॉक किया गया कमरा जारी कर दिया जाएगा और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बुकिंग के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- ❖ एक कैलेंडर वर्ष में किसी कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी द्वारा केवल एक बार विशेष हॉलिडे होम बुक किया जा सकता है।

अंत्येष्टि व्यय - सेवानिवृत्त कर्मचारी

- ✚ यह योजना उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है जो सेवानिवृत्ति / वीआरएस / एसवीआरएस 2001 पर सेवानिवृत्त हुए हैं /जिन कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है और पेंशन के हकदार हैं।
- ✚ निम्नलिखित व्यक्ति योजना के तहत पात्र नहीं हैं:
 - a. जिन कर्मचारियों को कदाचार के आधार पर सेवा से निकाला गया है/ बर्खास्त किया गया है / सेवा से हटा दिया गया है / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त / सेवा समाप्त कर दी गई है ।
 - b. जिन कर्मचारियों ने बैंक की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया है और पेंशन नहीं ले रहे हैं।
- ✚ इस योजना के तहत पात्र राशि 10,000/- रुपये है
- ✚ यह राशि रसीद लेने और आईडी प्रमाण मिलने पर तत्काल कानूनी उत्तराधिकारियों को नकद में दी जाएगी।

- ✚ पेंशन आदाता शाखा तत्काल कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान करने और उनके रिकॉर्ड के लिए पेंशन फंड को सूचना प्रदान करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा, यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति पेंशन प्राप्तकर्ता शाखा से दूर किसी स्थान पर मर जाता है, तो ऐसे मामले में, निकटतम शाखा सेवानिवृत्त के तत्काल कानूनी उत्तराधिकारियों को राशि का भुगतान करने और उनके रिकॉर्ड के लिए पेंशन फंड को सूचित करने के लिए अधिकृत है।
- ✚ शाखा द्वारा एचआरएमएस पैकेज में दावा प्रस्तुत किया जाएगा जिसे मासंप्र अनुभाग , अंचल कार्यालय/होसा, एचआर विभाग, प्र.का./एसए अनुभाग, निरीक्षण विभाग, प्र.का. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदन पर, दावा राशि एसटीपी के माध्यम से शाखा के पार्किंग जीएल में जमा की जाएगी।
- ✚ अनुलग्नक-5 के अनुसार रसीद शाखा द्वारा प्राप्त की जानी है और प्रति मासंप्र अनुभाग , अंचल कार्यालय को अग्रेषित की जानी है।
- ✚ यह योजना 31.03.2026 तक लागू रहेगी।

मृत कर्मचारी के पार्थिव शरीर को पैतृक स्थान/निवास स्थान पर ले जाने के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए योजना, जब मृत्यु उसके पैतृक स्थान/निवास स्थान से बाहर होती है। (परिपत्र संख्या 591/2024 दिनांक 14.08.2024)

बैंक में कुछ स्टाफ सदस्यों की असामयिक मृत्यु हो रही है। जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पैतृक स्थान/निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर होती है, तो शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को मृत कर्मचारी के अंतिम संस्कार करने के लिए पार्थिव शरीर को उनके मूल स्थान/निवास स्थान पर लाने के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है।

बोझ को कम करने के लिए, निदेशक मंडल ने मृत कर्मचारियों के पार्थिव शरीर को परिवहन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने के लिए एक योजना शुरू करने की अनुमति दी है।

योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

पात्रता: परिवीक्षा के तहत सभी स्थायी कर्मचारी/कर्मचारी।

भुगतान की जाने वाली राशि: पार्थिव शरीर को परिवहन करने का खर्च:

तरीका	राशि
हवाई मार्ग से	वास्तविक लागत या 25000 रुपये, जो भी कम हो
सड़क मार्ग से (500 किमी तक)	30 रुपये प्रति किमी न्यूनतम 5000/- रुपये और अधिकतम 15,000/- रुपये तक
सड़क मार्ग से (500 किमी से ऊपर)	30 रुपये प्रति किमी न्यूनतम 15,000/- रुपये और अधिकतम 25,000/- रुपये तक
हवा और सड़क संयुक्त मोड द्वारा (यदि एयरलिफ्टिंग सुविधा या तो मृत्यु के स्थान पर या दाह संस्कार के स्थान पर उपलब्ध नहीं है)	वास्तविक लागत या रु. 40,000/-*, जो भी कम हो *अधिकतम स्वीकार्य राशि
ऐसे मामलों में जहां पार्थिव शरीर के साथ अटेंडर एयर एम्बुलेंस से जा रहा हो	परिचर के लिए इकोनॉमी क्लास का एक तरफ़ा वास्तविक हवाई टिकट शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होगा

आवश्यक दस्तावेज़:

- हवाई परिवहन बिल/सड़क परिवहन बिल
- हवाई परिवहन के मामले में एक परिचारक, यदि कोई हो, का हवाई टिकट किराया।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (जो बाद में परिवार से प्राप्त किया जाएगा और अभिलेखों के साथ सुरक्षित रखा जाएगा)

स्वीकृति प्राधिकारी: अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी जहां मृत कर्मचारी आखिरी काम कर रहा था।

भुगतान का तरीका: मृत कर्मचारी का अंतिम कार्य स्थल अर्थात, शाखा/क्षे.का./अं.का./प्र.का. सामान्य शुल्क - कर्मचारियों के खर्चों को डेबिट करके मृत कर्मचारी के पति/पत्नी/कानूनी उत्तराधिकारी के खाते में राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

मृत कर्मचारी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ: (आईसीओएम/374/2025)

बैंक ने मृत कर्मचारियों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा लाभ योजना शुरू की है। योजना का विवरण इस प्रकार है:

- ✦ यह योजना उन कर्मचारियों के बच्चों पर लागू होगी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई।
- ✦ केवल पहले दो बच्चे ही मुफ्त शिक्षा लाभ के लिए पात्र होंगे।
- ✦ 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए 2000/- रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से शिक्षण शुल्क या पुस्तकों की लागत का भुगतान किया जाएगा।
- ✦ स्नातक के लिए 4000/- रुपये प्रति शैक्षणिक वर्ष {यूजीसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम}
- ✦ शिक्षण शुल्क का 50% या 15,000/- रुपये प्रति शैक्षणिक वर्ष, जो भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कम हो {पूरे पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 50,000/- रुपये}
- ✦ 25% शिक्षण शुल्क या 25,000/- रुपये प्रति शैक्षणिक वर्ष जो भी कम हो, मेडिकल कोर्स के लिए {अधिकतम 80,000/- रुपये पूरे कोर्स के लिए}।
- ✦ दावा प्रारूप आंतरिक संचार के अनुलग्नक -3 के रूप में संलग्न है।
- ✦ दावा पेंशन भुगतान शाखा को प्रस्तुत किया जाना है जहां पति / पत्नी पारिवारिक पेंशन खाता रख रहे हैं। पेंशन भुगतान करने वाली शाखा मूल को विधिवत सत्यापित करते हुए प्राप्तियों की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एकत्र करेगी और इसे अंचल/प्र.का. अनुभाग, एचआर विभाग/एस ए अनुभाग, निरीक्षण विभाग, एचओ के संबंधित मासंप्र अनुभाग को अग्रेषित करेगी। अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय सामान्य प्रभार कर्मचारी कल्याण योजना व्यय को डेबिट करके परिवार पेंशन खाते में राशि जमा करेगा।
- ✦ जहां पति या पत्नी पारिवारिक पेंशनभोगी नहीं है या जहां पति या पत्नी भी जीवित नहीं है, दावे को अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय के मा.सं.प्र. अनुभाग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में कर्मचारी ने अंतिम बार काम किया था। अंचल कार्यालय दावे का सत्यापन करेगा और सामान्य प्रभार कर्मचारी कल्याण योजना व्यय को डेबिट करके दावेदार द्वारा निर्दिष्ट खाते में राशि जमा करेगा।
- ✦ इस श्रेणी के तहत सभी दावे 27.02.2026 को या उससे पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए और प्रतिपूर्ति 20.03.2026 को या उससे पहले की जानी चाहिए।

सेवानिवृत्ति लाभ और वित्तीय योजना

भविष्य निधि (पीएफ)

- पीएफ ऑफ़ी: सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारी पीएफ में कर्मचारी का योगदान प्राप्त करेगा और पीएफ में बैंक का योगदान उस पर जमा ब्याज के साथ होगा।
- पेंशन विकल्प: सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारी केवल संचित ब्याज के साथ पीएफ में कर्मचारियों का योगदान प्राप्त करेगा।
- बैंक की सेवाओं से बाहर निकलने के तुरंत बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लागू ब्याज के साथ पूर्ण पीएफ राशि का निपटान किया जा रहा है। (लागू 01.04.2021, कर्मचारी भविष्य निधि के विनियम 23(बी) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कर्मचारियों की पीएफ शेष राशि की स्वीकृति की सुविधा बंद कर दी गई है)
- कर्मचारी की मृत्यु के मामले में पात्र पीएफ राशि नामांकन के अभाव में नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिसों को तय की जाएगी।

पेंशन

जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प चुना है और अनुमति दी है, वे केवल केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के प्रावधानों के अधीन पेंशन के लिए पात्र हैं

जो कर्मचारी 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं, वे केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, लेकिन वे पीएफआरडीए द्वारा तैयार की गई नई पेंशन योजना [डीसीपीएस] के अंतर्गत आते हैं।

a) नियमित पेंशन

- सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम **दस वर्ष** की सेवा देनी होगी। (विनियम 14)
- जिस कर्मचारी ने अर्हक सेवा के **20 वर्ष** पूरे होने पर पेंशन का विकल्प चुना है, वह कम से कम **3 महीने** का नोटिस देकर केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 29 के तहत सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकता है।
- बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी का इस्तीफा या बर्खास्तगी या निष्कासन या समाप्ति उसकी पूरी पिछली सेवा को जब्त करने के लिए होगी और परिणामस्वरूप पेंशन लाभ के लिए योग्य नहीं होगी। (विनियम 22)
- पेंशन निर्धारित करने के उद्देश्य से **भुगतान** का अर्थ है, पिछले **10 महीनों के वेतन** का औसत जो पीएफ अंशदान के लिए गिना जाता है, अर्थात्, मूल वेतन जिसमें ठहराव वृद्धि, यदि कोई हो, और विशेष वेतन, स्नातक वेतन, व्यावसायिक योग्यता वेतन, निश्चित व्यक्तिगत वेतन का वृद्धि घटक और कार्यवाहक वेतन, यदि कोई हो, शामिल है।।
- **अर्हक सेवा** का अर्थ है ड्यूटी पर या अन्यथा प्रदान की गई सेवा, जिसे असाधारण छुट्टी, छुट्टी के बिना अनुपस्थिति, वेतन की हानि, सब्बेटिकल छुट्टी, इन विनियमों के तहत पेंशन के उद्देश्य के लिए निलंबन को छोड़कर ध्यान में रखा जाएगा।
- अर्हक सेवा के अलावा, छह महीने से अधिक की सेवा की टूटी हुई अवधि को एक वर्ष माना जाएगा।
- पेंशन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के संबंध में, प्र.का. परिपत्र 792/2025 दिनांक 29.10.2025 को संदर्भित किया जाएगा। "पेंशन आवेदन एचआरएमएस के माध्यम से "Self service > Pension application form" में ऑनलाइन जमा किया जाएगा और अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा "Manager Self Service > Pension Application Form Branch Head > Pension application form forward" में अग्रेषित किया जाएगा।"

- एक अलग प्रावधान भी दिया गया है जहां शाखा/अनुभाग प्रभारी या अगले उच्च अधिकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से असाधारण मामलों में आवेदन जमा कर सकते हैं जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए पात्र होने और सेवानिवृत्ति के अंतिम महीने के दौरान एचआरएमएस पैकेज तक पहुंच उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबे समय तक छुट्टी पर है या अन्य कारणों (जैसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि) के लिए बाहर जा रहा है। यह प्रावधान "“**Manager Self Service > Pension Application Form Branch Head > Pension application form forward**” में उपलब्ध है।”
- एक कर्मचारी जिसकी अर्हक सेवा 33 वर्ष या उससे अधिक है, पूर्ण पेंशन अर्थात् पिछले 10 महीने के औसत वेतन का 50% पाने के लिए पात्र है ।
- यदि अर्हक सेवा 33 वर्ष से कम है, तो मूल पेंशन वेतन x अर्हक सेवा → 66 के बराबर होगी।
- **स्वेच्छा** से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा में **पांच वर्ष** से अधिक की अवधि तक वृद्धि की जाएगी, इस शर्त के साथ कि ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी मामले में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे नहीं ले जाएगी।
- एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन (लेकिन किसी अन्य प्रकार की पेंशन के लिए नहीं) के लिए अपनी सेवा में अपनी सेवा की लंबाई के एक चौथाई से ज़्यादा की वास्तविक अवधि या भर्ती के समय उसकी उम्र बैंक द्वारा सीधी भर्ती के लिए तय ऊपरी आयु सीमा से जितनी ज़्यादा थी, उस वास्तविक अवधि या पाँच साल की अवधि, जो भी कम हो, जोड़ने का हकदार होगा, यदि जिस सेवा या पद पर कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, वह एक है
 - a) जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान, या वैज्ञानिक, तकनीकी; या व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ योग्यता या अनुभव आवश्यक है; और
 - b) जिसमें सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु के उम्मीदवारों को आम तौर पर भर्ती किया जाता है;
 - c) जिसके लिए उम्मीदवार को उसकी उच्च योग्यता या अनुभव के कारण बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु में छूट दी गई थी।
- मासिक पेंशन का भुगतान महीने के अंतिम कार्य दिवस पर किया जाएगा।
- मूल पेंशन के अधिकतम 1/3rd तक का संराशीकरण किया जा सकता है।
- कैनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 41 के अनुसार कम्प्यूटेशन फैक्टर प्राप्त किया जाता है।
- संराशीकरण संराशीकृत भाग x 12 x संराशीकरण कारक (अगले जन्मदिन पर आयु के लिए कारक) के बराबर है।

पेंशन के लिए कम्प्यूटेशन मूल्य

अगले जन्मदिवस की आयु	संराशीकरण मूल्य	अगले जन्मदिवस की आयु	संराशीकरण मूल्य	अगले जन्मदिवस की आयु	संराशीकरण मूल्य	अगले जन्मदिवस की आयु	संराशीकरण मूल्य
18	19.20	35	16.92	52	12.66	69	7.22
19	19.11	36	16.72	53	12.35	70	6.91
20	19.01	37	16.52	54	12.05	71	6.60
21	18.91	38	16.31	55	11.73	72	6.30
22	18.81	39	16.09	56	11.42	73	6.01
23	18.70	40	15.87	57	11.10	74	5.72

24	18.59	41	15.64	58	10.78	75	5.44
25	18.47	42	15.40	59	10.46	76	5.17
26	18.34	43	15.15	60	10.13	77	4.90
27	18.21	44	14.90	61	9.81	78	4.65
28	18.07	45	14.64	62	9.48	79	4.40
29	17.93	46	14.37	63	9.15	80	4.17
30	17.78	47	14.10	64	8.82	81	3.94
31	17.62	48	13.82	65	8.50	82	3.72
32	17.46	49	13.54	66	8.17	83	3.52
33	17.29	50	13.25	67	7.85	84	3.32
34	17.11	51	12.95	68	7.53	85	3.13

- संराशीकृत राशि आयकर से पूरी तरह से छूट प्राप्त है।
- प्रति माह कुल पेंशन प्राप्य रूपान्तरण के बाद मूल पेंशन के बराबर है + रूपान्तरण से पहले मूल पेंशन पर लागू महंगाई राहत (डीआर) दर + अनुग्रह राशि 2023 (पूर्व-नवंबर 2002 पेंशनर) + अनुग्रह राशि 12 वीं बीपीएस (पेंशनभोगी जो 31.10.2022 को या उससे पहले पेंशन प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं)। हर साल फरवरी और अगस्त में डीआर दर में संशोधन किया जाएगा।
- पेंशन का संराशीकृत भाग संराशीकरण संवितरण की तारीख से 15 वर्षों के बाद बहाल किया जाएगा। पेंशनभोगी को जारी किए गए पीपीओ में संराशीकरण तिथि, राशि आदि की सूचना दी जाएगी।
- सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद रूपान्तरण का लाभ उठाने के लिए, हमारे बैंक के पैनाल डॉक्टर से चिकित्सा या फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ-साथ चिकित्सा जांच की सुविधा के लिए पेंशनभोगी द्वारा घोषणापत्र प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- दूसरे संराशीकरण और संराशीकरण की शीघ्र बहाली का कोई प्रावधान नहीं है।
- 01.01.2022 से, भौतिक पेंशन भुगतान आदेश जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया बंद कर दी गई है और डिजिटल पीपीओ पेंशनर, पेंशन भुगतान शाखा और संबंधित अंचल कार्यालय की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जा रहे हैं।
- केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 कैनेट और बैंक की वेबसाइट यानी www.canarabank.bank.in दोनों में उपलब्ध है।

b) पारिवारिक पेंशन

- केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अध्याय VII के अनुसार पारिवारिक पेंशन देय है।
- पारिवारिक पेंशन का भुगतान पति/पत्नी/पात्र परिवार के सदस्यों को (i) एक कर्मचारी की मृत्यु पर किया जाएगा जिसने पेंशन का विकल्प चुना था या (ii) एक पूर्व कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहा था।

- "मौजूदा दिशानिर्देशों (एमओएफ, डीएफएस और आईबीए द्वारा जारी) के अनुसार, पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी के "अंतिम आहरित भुगतान" के 30% की एक समान दर पर देय बिना किसी ऊपरी सीमा के, 01.04.2021 से किया जाएगा।"
- **वेतन** का अर्थ है, मूल वेतन जिसमें ठहराव वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, और विशेष वेतन, स्नातक वेतन, व्यावसायिक योग्यता वेतन, निश्चित व्यक्तिगत वेतन के वेतन वृद्धि घटक और स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो, जो पीएफ योगदान के लिए योग्य हैं।
- यदि कर्मचारी की मृत्यु 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो जाती है, तो बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन (योग्य पारिवारिक पेंशन का दोगुना, जो अंतिम वेतन के 50% या मृतक कर्मचारी द्वारा प्राप्त वास्तविक नियमित पेंशन, जो भी कम हो, से अधिक न हो) का भुगतान मृत्यु की तारीख से अधिकतम 7 वर्षों तक या पूर्व-कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु तक, यदि वह जीवित होता, जो भी पहले हो, तक किया जाएगा।
- पारिवारिक पेंशन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के संबंध में, प्र.का. परिपत्र 792/2025 दिनांक 29.10.2025 को को देखें ।

➤ **परिवार पेंशन के लिए योग्य व्यक्ति और भुगतान की अवधि;**

1. पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी या महिला कर्मचारी के मामले में पति की मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो।
2. कानूनी रूप से अलग हुई पत्नी या पति, बशर्ते यह अलगाव व्यभिचार के आधार पर न हुआ हो और जीवित व्यक्ति व्यभिचार का दोषी न पाया गया हो;
 - a) जब कोई बच्चा या बच्चे न हों, तो मृतक के संबंध में परिवार पेंशन जीवित व्यक्ति को देय होगी।
 - b) जब कोई बच्चा या बच्चे हों, तो मृतक के संबंध में देय परिवार पेंशन जीवित व्यक्ति को देय होगी, बशर्ते वह ऐसे बच्चे या बच्चों का अभिभावक हो।
 - c) जहां जीवित व्यक्ति ऐसे बच्चे या बच्चों का अभिभावक नहीं रह गया है, वहां ऐसी परिवार पेंशन उस व्यक्ति को देय होगी जो ऐसे बच्चे या बच्चों का वास्तविक अभिभावक है।
3. पुत्र या पुत्री, जिसमें विधवा या तलाकशुदा पुत्री भी शामिल है, जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले या उसकी शादी या पुनर्विवाह न हो जाए, जो भी पहले हो, जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र या पुत्री भी शामिल है। परिवार पेंशन तब बंद कर दी जाएगी जब योग्य पुत्र या पुत्री सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी या स्वरोजगार आदि से प्रति माह **अठारह हजार रुपये** से अधिक कमाना शुरू कर दे।
4. ऐसे माता-पिता जो कर्मचारी के जीवित रहने पर पूरी तरह उस पर निर्भर थे, बशर्ते मृतक कर्मचारी ने अपने पीछे न तो कोई विधवा/विधुर और न ही कोई बच्चा छोड़ा हो। यदि माता-पिता में से किसी एक की आय या दोनों माता-पिता की सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी या स्वरोजगार आदि से कुल आय **अठारह हजार रुपये** प्रति माह से अधिक हो जाती है, तो देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी।
5. यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम है, जिससे वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविका कमाने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक पेंशन ऐसे पुत्र या पुत्री को जीवन भर निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगी;

- a) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या दो से अधिक बच्चों में से एक है, तो पारिवारिक पेंशन शुरू में नाबालिग बच्चों को तब तक देय होगी जब तक कि अंतिम नाबालिग बच्चा पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता और उसके बाद पारिवारिक पेंशन उस पुत्र या पुत्री को फिर से दी जाएगी जो मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित है या जो शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है और उसे यह पेंशन जीवन भर दी जाएगी।
 - b) यदि ऐसे एक से अधिक बच्चे हैं जो मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित हैं या जो शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग हैं, तो पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के क्रम में दी जाएगी और उनमें से छोटे को पारिवारिक पेंशन तभी मिलेगी जब उसके बाद का बड़ा व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र नहीं रह जाएगा।
 - c) ऐसे किसी भी बेटे या बेटी को जीवन के लिए पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विकलांगता इस तरह की है कि वह उसे अपनी आजीविका कमाने से रोकती है और इसकी पुष्टि बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिसमें, जहाँ तक संभव हो, बच्चे की सटीक मानसिक या शारीरिक स्थिति बताई जाएगी।
 - d) ऐसे पुत्र या पुत्री के अभिभावक के रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री जो अभिभावक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, हर तीन साल में बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है।
 - e) ऐसे बेटे या बेटी को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी यदि वह अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देता है। ऐसे मामलों में, अभिभावक या बेटे या बेटी का यह कर्तव्य होगा कि वह हर महीने बैंक को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि-
 - (i) उसने अपनी आजीविका कमाना शुरू नहीं किया है;
 - (ii) बेटी के मामले में कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है।
- पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में पेंशन संवितरण को रोकने की आवश्यकता है। मृत पेंशनभोगी के आश्रितों को पेंशन संवितरण शाखा को मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और शाखा से अनुरोध करना चाहिए कि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पेंशन फंड को सूचित करें।
 - पति/पत्नी/योग्य परिवार के सदस्य को आवेदन के साथ संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार विधिवत भरा हुआ पारिवारिक पेंशन आवेदन पेंशन प्राप्त करने वाली शाखा में जमा करना होगा। चेकलिस्ट के साथ आवेदन केनरा बैंक की वेबसाइट पर पूर्व कर्मचारी पृष्ठ और कैनेट पर उपलब्ध है।

अनुग्रह राशि

यह एकमुश्त उपाय है जो नवंबर, 2022 से अक्टूबर 2027 तक चलने वाले 12वें द्विपक्षीय निपटान/9वें संयुक्त नोट की अवधि के लिए लागू होगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को दी जाने वाली पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अलावा मासिक अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा, जो 31 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले पेंशन पाने के योग्य हो गए हैं, जिसमें 31.10.2022 को सेवानिवृत्त होने वाले भी शामिल हैं। उक्त अनुग्रह राशि पर महंगाई भत्ता/महंगाई राहत सहित कोई अन्य भत्ता लागू नहीं होगा।

ग्रेच्युटी

वर्तमान में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत देय ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये है। केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियम 1979 और केनरा बैंक ग्रेच्युटी फंड नियम और विनियमों के तहत देय ग्रेच्युटी की राशि की कोई सीमा नहीं है। देय ग्रेच्युटी की राशि की गणना इस प्रकार की जाती है:

(a) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत:

- ग्रेच्युटी राशि = वेतन* x 15 x सेवा के वर्षों की संख्या ÷ 26
*वेतन = मूल वेतन, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और स्थायी प्रकृति के सभी भत्ते जो पीएफ के लिए गिने जाते हैं।
- न्यूनतम योग्यता सेवा **5 वर्ष**।
- छह महीने और उससे अधिक की सेवा को अगले उच्च वर्ष तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(b) केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियम 1979/केनरा बैंक ग्रेच्युटी फंड नियम और विनियम के तहत:

अधिकारी	कर्मचारी
देय ग्रेच्युटी की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन होगी, जो अधिकतम 15 महीने के वेतन तक होगी।	ग्रेच्युटी की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने की वेतन के बराबर होगी, जो अधिकतम 15 महीने की वेतन तक होगी।
बशर्ते कि जहां एक अधिकारी ने 30 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, वह 30 साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के आधे की दर से अतिरिक्त राशि के लिए ग्रेच्युटी के माध्यम से पात्र होगा।	यदि निरंतर सेवा के कुल वर्ष 30 वर्ष से अधिक हैं तो 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन की दर से अतिरिक्त ग्रेच्युटी के रूप में एक अतिरिक्त राशि देय हो जाएगी।
यदि सेवा के पूर्ण वर्ष के बाद सेवा का अंश 6 महीने या उससे अधिक है, तो ग्रेच्युटी का भुगतान अवधि के लिए आनुपातिक रूप से किया जाएगा।	छह महीने और उससे अधिक की सेवा को अगले उच्च वर्ष तक पूर्णांकित किया जाएगा और 6 महीने से कम की सेवा को नजरअंदाज किया जाएगा ।
सेवा समाप्ति की तारीख तक अंतिम आहरित वेतन को ध्यान में रखा जाना है। इस प्रयोजन के लिए, वेतन = मूल वेतन + वेतन वृद्धि + अन्य भत्ते जो स्थायी प्रकृति के हैं और केवल पीएफ के लिए गिने जाते हैं।	सेवा की समाप्ति से ठीक पहले पिछले 12 महीनों के वेतन घटकों के औसत को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, वेतन = मूल वेतन + वेतन वृद्धि + अन्य भत्ते जो केवल पीएफ के लिए गिने जाते हैं।
अधिकारियों के मामले में, ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 और केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979, दोनों के तहत की जाती है, और जो भी अधिक है, उसका भुगतान किया जा रहा है।	कामगारों के मामले में ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 और केनरा बैंक ग्रेच्युटी फंड नियमों और विनियमों दोनों के तहत की जाती है, और जो भी अधिक हो उसका भुगतान किया जा रहा है।

- अधिक जानकारी के लिए केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियम 1979 का विनियम 46 देखें।

ग्रेच्युटी के भुगतान पर उपलब्ध टीडीएस छूट सीमा का विवरण इस प्रकार है:

- A. यदि कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत आता है - तो पट्टे के तहत धारा 10(10)(ii) के तहत निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उस पर छूट मिलेगी:
1. प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि
 2. 20 लाख रुपये
 3. (अंतिम आहरित वेतन x 15/26) x सेवा के वर्षों की संख्या

B. यदि कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत **नहीं** आता है - निम्नलिखित के पट्टे के तहत धारा 10(10)(iii) के तहत छूट मिलेगी:

1. प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि
2. 20 लाख रुपए
3. (पिछले 10 महीने के वेतन का औसत x 1/2) x सेवा के पूरे वर्ष

स्रोत पर टैक्स कटौती

- कर गणना के उद्देश्य से पेंशन को वेतन माना जाता है और उचित आयकर काटा जाएगा।
- सेवानिवृत्ति के वर्ष में, सेवानिवृत्त को दो फॉर्म -16 मिलेंगे, एक बैंक से (वेतन, पीएल नकदीकरण, कर योग्य ग्रेच्युटी आदि के लिए) और पेंशन फंड से अन्य, विशेष रूप से वितरित पेंशन के लिए होगा। सेवानिवृत्त लोगों से अनुरोध है कि वे समेकित आय के लिए रिटर्न फाइल करें।
- कर की गणना केवल केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन निधि से वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई पेंशन राशि/पेंशन बकाया पर की जाएगी।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगे नई कर व्यवस्था धारा 115 बीएसी के तहत डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। यदि अनुमानित कुल वार्षिक पेंशन कर की सीमा पार कर जाती है तो मासिक आनुपातिक आधार पर मासिक पेंशन/वेतन से कर काटा जाएगा।
- "व्यक्तिगत यू / एस 115BAC के लिए "नई कर व्यवस्था" के तहत "कर दर" (निवासी और अनिवासी दोनों के लिए):

नई व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर स्लैब (वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई विशेष स्लैब नहीं है)	
4,00,000 रुपये तक	शून्य
☒ 4,00,001 से 8,00,000 तक	5%
☒ 8,00,001 से 12,00,000 तक	10%
☒ 12,00,001 से 16,00,000 तक	60000 + 1200000 रुपये से अधिक की कुल आय का 15%
☒ 16,00,001 से 20,00,000 तक	120000 + 1600000 रुपये से अधिक की कुल आय का 20%
☒ 20,00,001 से 24,00,000 तक	200000 + 2000000 रुपये से अधिक की कुल आय का 25%।
24,00,000 रुपये से अधिक	300000 + 2400000 रुपये से अधिक की कुल आय का 30%

- व्यक्तियों के लिए पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर दरें निम्नलिखित:

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिगत निवासी और अनिवासी की कुल आय	वरिष्ठ नागरिकों की कुल आय (निवासी)		कर दर
	60 वर्ष और उससे अधिक और 80 वर्ष से कम	80 वर्ष और उससे अधिक	
2.50 लाख लाख रुपये तक	3.00 लाख रुपये तक	5.00 लाख रुपये तक	शून्य

2.50 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5.00 लाख रुपये के बराबर या उससे कम	3.00 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5.00 लाख रुपये के बराबर या उससे कम	--	5%
5.00 लाख रुपये से अधिक लेकिन 10.00 लाख रुपये से कम।			20%
10.00 लाख रुपये से अधिक			30%

- कुल आय के आधार पर आयकर टीडीएस में अधिभार जोड़ा जाएगा जो निम्नानुसार है:
- आयकर और अधिभार की राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, यदि लागू हो।
- **87ए के तहत छूट:** पेंशनभोगी कुल कर योग्य आय पर लगने वाले अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की गणना से पहले आयकर से निम्नलिखित छूट के लिए पात्र हैं;

नई कर व्यवस्था (निवासी और अनिवासी दोनों)	पुरानी कर व्यवस्था (निवासी व्यक्ति)
यदि कुल कर योग्य आय 12,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है, तो आयकर के 100% या 60,000/- रुपये, जो भी कम हो, की छूट मिलेगी (वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू)।	यदि कुल कर योग्य आय 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है, तो आयकर के 100% या 12,500/- रुपये जो भी कम हो, की छूट मिलेगी

- सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि यदि पहले से प्रदान नहीं किया गया है तो पैन की स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करके कर्मचारी पेंशन निधि में अपना पैन नोट कर लें। जहां कहीं भी पेंशनभोगी द्वारा पैन प्रदान नहीं किया जाता है, वहां मौजूदा आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार 20% कर की कटौती की जाएगी।
- "मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को भुगतान की गई पारिवारिक पेंशन और बकाया "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत कर योग्य है।" इसलिए, भारत में निवासी कानूनी वारिसों को भुगतान की गई पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।
- "पति या पत्नी द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन जो हमारे बैंक का कर्मचारी है, उसे नियमित वेतन आय के साथ क्लब किए बिना टीडीएस उद्देश्यों के लिए "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में माना जाना है।"
- पेंशन के रूपांतरण पर प्राप्त राशि (सामान्य पेंशन का 1/3) आयकर अधिनियम की धारा 10(10ए) के तहत पूरी तरह से टैक्स-फ्री है।
- धारा 194पी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुपालन से निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों (एसएससी) को राहत प्रदान करती है जो आय की वापसी फाइल करने के बारे में है अर्थात् आईटीआर फाइल करने से राहत।

“निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक” का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति है, जो भारत का निवासी है –

- (i) जिसकी उम्र पिछले साल किसी भी समय पचहत्तर साल या उससे ज्यादा हो;

- (ii) जिसके पास पेंशन की प्रकृति की आय है और उसी निर्दिष्ट बैंक में ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए किसी खाते से प्राप्त या प्राप्य ब्याज की प्रकृति की आय के अलावा कोई अन्य आय नहीं है जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है; और
- (iii) निर्दिष्ट बैंक को इस प्रकार के विवरण वाले ऐसे प्रपत्र में और सत्यापित किए गए ऐसे विवरणों का एक घोषणापत्र दी है।

निवेश घोषणा प्रस्तुत करना

- जो पूर्व कर्मचारी पेंशनभोगी जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें नीचे उल्लिखित लिंक पर जाकर इसके लिए अनुरोध करना होगा जो हमारे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है: <https://canarabank.bank.in/taxrebate>
- पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के इच्छुक पेंशनभोगी, **प्रत्येक वित्तीय वर्ष** के अप्रैल के दौरान ऐसे इरादे के ईमेल/पत्र के माध्यम से भी हमें सूचित कर सकते हैं।
- पेंशनभोगियों के लिए जो पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं, डिफ़ॉल्ट कर की गणना अधिनियम की धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था के अनुसार की जाएगी, कर योग्य आय में कटौती का लाभ उठाने के लिए निवेश प्रमाण प्रस्तुत करना धारा के अनुसार लागू नहीं है।
- निवेश के प्रमाण के साथ जमा किए जाने वाले निवेश घोषणा का प्रारूप हमारे कॉर्पोरेट वेबसाइट पर पूर्व कर्मचारी पेंशनरों के पृष्ठ पर उपलब्ध है।
- पेंशनभोगियों के लिए जो पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, घोषणा के अनुसार हर साल अप्रैल से दिसंबर तक कर की कटौती की जाएगी। घोषणा के अनुसार निवेश के लिए प्रमाण 31 दिसंबर तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, यदि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो मासिक कर जनवरी के महीने से आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा।
- बीमा पॉलिसी जैसे निवेश के मामलों में जहां वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर के बाद प्रीमियम देय होता है, पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे पिछले वर्ष के लिए प्रीमियम भुगतान रसीद उसी पॉलिसी को प्रस्तुत करें और वित्तीय वर्ष (31 मार्च) की समाप्ति से पहले अपेक्षित प्रीमियम का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
- फॉर्म नंबर 16 (भाग ए और भाग बी दोनों) ट्रेस प्रारूप के अनुसार जिन लोगों का कर काटा गया है और पैन उपलब्ध है, हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर पूर्व-कर्मचारी पेंशनभोगियों के पृष्ठ पर अपलोड किया जाएगा।

आधार को पैन से जोड़ना

आधार और पैन को लिंक करने की आवश्यकता किसे है?

आयकर अधिनियम की धारा 139ए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार संख्या से जोड़ना होगा। हालांकि, **80 या उससे अधिक आय के व्यक्ति**, अनिवासी, असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग छूट प्राप्त श्रेणी में आते हैं।

आधार और पैन को कैसे लिंक करें?

पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता पोर्टल पर अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं, यहां तक कि लॉगिन किए बिना। आधार और पैन को लिंक करने के लिए आप ई-फाइलिंग होम पेज पर क्लिक **लिंक आधार** का उपयोग कर सकते हैं।

अगर मैं आधार और पैन लिंक नहीं करता हूँ तो क्या होगा?

यदि आप इसे आधार से नहीं जोड़ते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और पैन निष्क्रिय होने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ेगा:

- अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय कर या उसके किसी भी भाग की कोई भी राशि उसे वापस नहीं की जाएगी;
- जिस तारीख को यह ऑपरेटिव हो जाता है, उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस तरह के रिफंड पर उसे ब्याज देय नहीं होगा;
- जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVJJ-B के तहत कर कटौती योग्य है, वहां धारा 206AA के प्रावधानों के अनुसार, उच्च दर (20%) पर कर काटा जाएगा;

अधिक जानकारी के लिए, कृपया सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 15/2023 दिनांक 28 मार्च 2023 का संदर्भ लें।

1. जिन पेंशनभोगियों का आधार पैन से लिंक नहीं है, उनकी सूची हमारे वेबसाइट पर पूर्व कर्मचारी पृष्ठ के तहत अपलोड कर दी गई है। इसलिए, ऐसे पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे अपने आधार को पैन से शीघ्र लिंक करें। कृपया निम्नलिखित लिंक के तहत सूची देखें:

https://canarabank.bank.in/UploadedFiles/Pdf/INOPERATIVE_PAN_LIST.pdf

2. आधार और पैन को लिंक करने के लिए यूआरएल पर जाएं:

<https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar>

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. पेंशन रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर, पता और ईमेल कैसे अद्यतन करें?

पेंशनरों को नए मोबाइल नंबर/पता/ईमेल को अपडेट करने के लिए अनुरोध पेंशन प्राप्त करने वाली शाखा को सहायक प्रमाण/दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। शाखा को पहले सीबीएस में विवरण अपडेट करना होगा और फिर पेंशन रिकॉर्ड में इसे नोट करने के लिए पेंशन फंड के साथ लेना होगा।

2. हमारे केनरा बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में पेंशन खाता कैसे स्थानांतरित करें?

एक शाखा से दूसरी शाखा में पेंशन खातों के हस्तांतरण या पेंशन खाते बदलने के लिए अनुरोध पत्र को पेंशन फंड के प्र.का. को संबोधित किया जाना है और मौजूदा पेंशन भुगतान शाखा के माध्यम से भेजा जाना है। शाखा को टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करना होगा: "पेंशनर का हस्तांतरण शाखा के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दायित्व नहीं है और शाखा को हस्तांतरण शाखा (डीपी कोड) से अंतरिती शाखा (डीपी कोड) में हस्तांतरण करने या खाता बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। उसकी प्राप्ति पर, मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा और खाता के हस्तांतरण के लिए अंतरण शाखा को अनुमति दी जाएगी।

3. केनराइट्स ऐप में अलग-अलग आधार नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं?

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार डेटा वॉल्ट को हमारे बैंक में सीबीएस और अन्य परिधीय अनुप्रयोगों में लागू किया गया है जहां आधार नंबर को आधार संदर्भ कुंजी से बदल दिया गया है। अब

एचआरएमएस और केनराइट्स ऐप में, पेंशनभोगी वास्तविक आधार संख्या नहीं देख पाएंगे। इसके बजाय, आधार संदर्भ कुंजी प्रदर्शित की जाएगी।

4. परिवार पेंशन के लिए विकलांग पुत्र/पुत्री को पात्र परिवार के सदस्य के रूप में कैसे जोड़ा जाए?

पेंशनभोगी को अपनी पेंशन भुगतान शाखा के माध्यम से नवीनतम विशेष विकलांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की सॉफ्ट/हार्ड प्रति पेंशन फंड में जमा करनी होगी।

पेंशन फंड के संपर्क विवरण:

ईमेल: hopenfund@canarabank.com

संपर्क नंबर 08025323801, 08025584016

टर्मिनल लाभों पर कराधान

ग्रेच्युटी:

कर्मचारी को उसके बाहर निकलने या पति/पत्नी, बच्चों या कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों को भुगतान की गई ग्रेच्युटी की राशि को 20 लाख रुपये की निर्धारित सीमा तक छूट दी गई है। जहां एक कर्मचारी को एक ही वित्तीय वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से या अलग-अलग वर्षों में ग्रेच्युटी प्राप्त होती है, इस धारा के तहत कर से छूट प्राप्त ग्रेच्युटी की कुल अधिकतम राशि 20 लाख रुपये (केवल बीस लाख रुपये) से अधिक नहीं हो सकती है।

पेंशन का भुगतान:

पेंशन के संराशीकरण पर प्राप्त राशि को पूरी तरह से छूट दी गई है।

सेवानिवृत्ति पर अवकाश का नकदीकरण:

सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 25 लाख रुपये तक छूट प्राप्त है, जिसकी गणना सेवानिवृत्ति के महीने के पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत वेतन (बीपी + डीए + अन्य भत्ते पीएफ के लिए रैंकिंग) के आधार पर की जाती है।

अवकाश नकदीकरण के छूट वाले हिस्से की गणना निम्नानुसार की जानी है:

पिछले 10 महीनों के वेतन का कुल योग (मूल वेतन + डीए + ईपीएफ के लिए अन्य भत्ते रैंकिंग)	X	1 ----- 30	X	दिनों की संख्या अवकाश का नकदीकरण
----- 10				

नोट:

1. एच.आर.ए. जिसमें काल्पनिक एच.आर.ए. और अन्य भत्तों का एक हिस्सा शामिल है जो पी.एफ. के लिए योग्य नहीं हैं लेकिन सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण में शामिल हैं, वह कर योग्य है।
2. मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को भुगतान किया गया अवकाश नकदीकरण कर योग्य नहीं है (सीबीडीटी परिपत्र संख्या 309 दिनांक 3.7.1981) ।
3. एलएफसी पर अवकाश नकदीकरण का लाभ पूरी तरह से कर योग्य है।

नोट: छुट्टी नकदीकरण की गणना के लिए ऊपर दिया गया फॉर्मूला आयकर के उद्देश्य के लिए है और तदनुसार वास्तविक छुट्टी नकदीकरण या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, उसे छूट दी जाएगी।

पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

- मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्व-कर्मचारी पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन के वितरण को जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में 30 नवंबर को या उससे पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र (एलसी) जमा करना आवश्यक है।
- निर्धारित समय के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में, उन पेंशनभोगियों के लिए पेंशन बंद कर दी जाएगी।
- पेंशनरों को एक पुष्टिकरण एसएमएस प्राप्त होगा, यदि उनका एलसी सफलतापूर्वक पेंशन फंड अनुभाग में अपडेट किया जाता है।
- जीवन प्रमाण पत्र के अलावा, पूर्व कर्मचारी पेंशनरों द्वारा गैर-रोजगार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है जो सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष तक अधिकारी संवर्ग में सेवानिवृत्त हुए हैं।
- पूर्व कर्मचारियों के परिवार पेंशनरों को पुनर्विवाह/विवाह के संबंध में घोषणा भी जमा करनी होती है। इसके अलावा, मृतक पूर्व कर्मचारी के पति/पत्नी (जैसे, पूर्व कर्मचारी का बेटा/बेटी/मां/परिवार) के अलावा अन्य परिवार पेंशनरों को एलसी और पुनर्विवाह/विवाह की घोषणा के साथ गैर-रोजगार प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
- एल.सी. के परेशानी मुक्त जमा करने के लिए, पेंशनभोगियों के लिए निम्नलिखित चैनल उपलब्ध हैं;

1. जीवन प्रमाण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र:

जीवन प्रमाण भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जो पेंशनभोगियों को आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या नीचे सूचीबद्ध विभिन्न स्रोतों के माध्यम से चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग करके डिजिटल रूप से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सक्षम बनाती है।

- a) जीवन प्रमाण पोर्टल (<http://www.jeevanpramaan.gov.in>)
- b) उमंग एप्लीकेशन (गूगल प्ले स्टोर)
- c) मुख प्रमाणीकरण
 - गूगल प्ले स्टोर से "आधारफेस आरडी ऐप" और
 - जीवन प्रमाण पोर्टल के डाउनलोड मेनू में उपलब्ध "जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन" (<http://www.jeevanpramaan.gov.in>)
- d) डाकघर/डिजिटल सेवा केंद्र

प्रस्तुत करने के दौरान, पेंशनभोगियों को निम्नलिखित तरीके से चयन करना आवश्यक है:

- पेंशनभोगी का नाम
- पीपीओ नंबर
- पेंशन का प्रकार - "सेवा" का चयन करें"



- स्वीकृति प्राधिकारी - "बैंकिंग कर्मचारी" का चयन करें।
- संवितरण एजेंसी - "बैंक" का चयन करें
- एजेंसी - "केनरा बैंक" का चयन करें
- खाता संख्या - पेंशन जमा करने वाले खाते की संख्या।
- ईमेल
- पुनर्नियोजित किया गया है - हाँ या नहीं।
- पुनर्विवाहित है - हाँ या नहीं

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के सफल होने के बाद, पेंशनभोगी का जीवन प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाता है और पेंशनभोगी के मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस पावती भेजी जाती है।

JEEVAN PRAMAN (DIGITAL LIFE CERTIFICATE) THROUGH FACE, FINGER & IRIS AUTHENTICATION

Requirement	Process
<ul style="list-style-type: none"> • Android Smartphone (version 9.0 & above) (un-rooted device) • Internet connection • RAM - 4+ GB • Storage – 64GB (Minimum 500 MB free storage space) • Camera resolution - 5 Mp or more (In case of Face Authentication) • For Face Authentication - AadhaarFaceRD app (No biometric device is required) • For Finger/Iris Authentication - RD service of Biometric Device being used 	<p>Step-1: Download and Install AadhaarFaceRD OR RDSERVICE App of Biometric device (if using Biometric device) from Google Play Store</p> <p>Step-2: Download and Install Jeevan Pramaan Application.</p> <p>Step-3: Operator Authentication - This is a one time process. Pensioner can be the Operator as well.</p> <p>Step-4: Pensioner Authentication - Fill in the pensioner details and Aadhaar based Biometric Authentication of Pensioner.</p>

Step-1: Download and Install AadhaarFaceRD App from Google Play Store



- Open Google Play Store, search for "AadhaarFaceRD"
- Install the AadhaarFaceRD.





- ❑ The *AadhaarFaceId* is not shown like other apps and has no icon.
- ❑ The App is visible in Settings → App Info, as shown in the image.



- ❑ Open Google Play Store, search for RD Service of biometric device that you are using, and install the same.



Step-2: Download Jeevan Pramaan Application



- ❑ Open Google Play Store, search for *Jeevan Pramaan*. Install the application.
- ❑ Screen shot for reference is shown

Step-3: Device Registration & Operator Identification (one time process)



- Next the 'Device Registration & Operator Identification' screen appears. This is a one time process. Any person can act as an operator. The pensioner can also act as an operator.
- The operator needs to enter his/her Aadhaar number, mobile number and e-mail address and click on *submit*
- The mobile number need not be linked with Aadhaar**, you can enter any mobile number but make sure you have it as you will receive an OTP on the mobile and email-id provided



- After the Operator has entered the details, he/she will receive an OTP on entered mobile number as well as email.
- Enter any one of the OTP received and then click on *Submit* button.
(In case OTP is not received click on *Resend OTP* button)




Fig. 1





Fig. 2

- After successful OTP Validation the screen shown on left will appear.
- The Operator needs to enter name and give consent for authentication by clicking on the checkbox.
- If both face and biometric RdService is installed and biometric device is connected then user will get two options to select from - Face RD & Finger/Iris as shown in Fig.1 Choose the desired option.
- If multiple RdService are not installed then application will not show any option and proceeds with available installed RdService (Fig. 2)
- Click on *Scan* button to proceed for scan.



Registration Using Face Authentication

- The screen shows the instructions for face authentication.
- Read the instructions carefully, click on the check box and then click on *Proceed*.



Registration Using Face Authentication

- You can use the front or rear camera to capture the face.
- The screen shows the instructions you need to follow while scanning. Face should be within the circle and blink your eyes.
- Follow the instructions that appear on the screen to successfully complete the face authentication process.



Registration Using Biometric device

- Place your finger on the biometric device to scan finger print. (or in case using Iris device scan your eye)



After you have successfully authenticated yourself through face, finger or iris scan, the application restarts itself and a toast is shown "Operator Authentication Successful" which implies that the 'Device Registration & Operator Identification' is successfully completed.

Step-4: Pensioner Identification



- ❑ Next the Pensioner Identification screen will open. Now whenever you run the application the Pensioner Identification screen will open.
- ❑ The pensioner should enter his/her Aadhaar number and mobile number. The email address is optional.
- ❑ Next click on the *submit* button you will receive an OTP on the entered mobile number and email (only if the user has provided email)



- ❑ After successful OTP Validation the screen shown on left appears. The screen will be either blank or will have prefilled details as shown in the next page.
- ❑ Enter all the details correctly, incorrect information will lead to rejection of Jeevan Pramaan by the Pension Disbursing agency.




Fig. 1



Fig. 2

- ❑ In case you get the screen with prefilled details, Select the desired PPO No. from the dropdown(fig.1), or if your required PPO No. is not appearing in list select '*Add new pension PPO not in List for yourself*'
- ❑ In case user selects a PPO No. from the list, he/she can modify all the details except PPO No.
- ❑ In case you select '*Add new pension PPO not in List for yourself*' the non-filled pensioner authentication screen (fig. 2) is displayed and user is required to fill all the details.



- After you click on **Next** button, the preview screen appears as shown in figure on the left.
- The pensioner can preview the data that he/she has filled.
- In case any information entered is incorrect then user can click on **Back** button and edit the data in previous screen.
- If all the data entered is correct then user needs to check on both the check boxes and click on **Submit** button to move forward.



- After you click on **Submit** button a pop-up will appear as shown in figure on the left.
- The pop-up asks the pensioner whether he/she wants to generate DLC for the remaining PPO number's apart from the one which has already been entered. Click on **Yes** if you wish to do so, else click on **NO**.
- In case user clicks on **YES** the user will be redirected to the pensioner details screen (page. 21-fig. 1) and the pensioner is required to select from the remaining PPO numbers from the dropdown that he/she wants to add and repeat the process from page 21 onwards.



Fig. 1



Fig. 2

- On selecting 'NO' in previous screen new pop-up will appear as shown in fig.1, in case both Face and Biometric RdServices is installed then user has to select either FaceRD or Finger/Iris.
- If user has installed only one RdService pop-up will appear as shown in fig.2.
- This pop-up shows all the PPO numbers selected by the pensioner for DLC (Digital Life Certificate) Jeevan Pramaan generation. The pensioner needs to tick the **checkbox** in order to give consent.
- Click on **SCAN** button to proceed further.



- In case user has selected face scan option or has only face RdService installed the user is required to scan his/her face.
- The screen shows the instructions you need to follow, when scanning face. Refer to page no. 15



- Place your finger on the fingerprint biometric device to scan finger (or if using Iris device scan your eyes)



- Once face, finger or iris authentication is successful, the DLC i.e Jeevan Pramaan is successfully generated and appears on the screen as shown.
- The screen shows the Pramaan-id for each PPO number.
- The pensioner shall also receive a SMS on the mobile number provided during pensioner identification, the SMS contains the Pramaan-id and the link from which the DLC can be downloaded.
- There is no need to physically submit the Digital Life Certificate to the Pension Disbursing Agency as it is automatically forwarded to the Pension Disbursing Agency mentioned by the pensioner in the Pensioner Identification Screen.



- After successful generation of DLC, when pensioner clicks on the close button the pop-up shown on left appears.
- The pop-up asks the pensioner whether he/she wants to submit DLC for any other pension/PPO number apart from the ones listed. If the pensioner wishes to do so click on YES else click on NO.
- In case the pensioner clicks on YES, you need to repeat the steps from page 20 onwards
- In case the pensioner clicks on NO, the application closes.

2. डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी) सेवा:

पेंशनभोगी डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी) सेवाओं के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। एक अधिकृत डीएसबी एजेंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ उनके आधार नंबर का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने वाले पेंशनभोगी के दरवाजे पर जाएगा।

पेंशनभोगी नीचे सूचीबद्ध विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुविधा तक पहुंच सकते हैं:

- डीएसबी कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर: 9152220220/18001213721/18001037188
- डीएसबी <https://psballiance.com/doorstep-banking.html>
- डीएसबी मोबाइल ऐप:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.integra.doorstepbanking>
- (एंड्रॉयड) & amp;
[https://apps/apple.com/in/app/doorstep-banking/id6477159429](https://apps.apple.com/in/app/doorstep-banking/id6477159429) (ios)
- केनरा एआई1 ऐप

3. शाखाओं में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र:

कुछ विशेष मामलों में, जहां पूर्व कर्मचारी पेंशनभोगी विभिन्न चैनलों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो पेंशनभोगी हमारी **किसी भी शाखा** में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जीवन प्रमाण पत्र, गैर-रोजगार प्रमाण पत्र और गैर-पुनर्विवाह प्रमाण पत्र के प्रारूप नेविगेशन **Cannet > HRD > Application Forms** में उपलब्ध हैं। शाखाओं को पूर्व कर्मचारी पेंशनभोगी की पहचान की विधिवत पुष्टि करने के बाद इसे स्वीकार करना चाहिए। **शाखाओं को बिना किसी असफलता के एचआरएमएस पैकेज में तुरंत जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट और अधिकृत करना चाहिए।**

4. विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए विकल्प:

विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी भारत में पेंशन भुगतान शाखा को जीवन प्रमाण पत्र अप्रेषित कर सकते हैं, जिसमें भारतीय दूतावास / भारतीय उच्चायोग / निवासी देश में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक अधिकृत अधिकारी का सत्यापन किया जा सकता है।

5. विदेश में रहने वाले और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए विशेष प्रावधान

वीडियो कॉल सुविधा द्वारा जीवन प्रमाणन विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक आयु के निवासी पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध है जो खराब स्वास्थ्य स्थितियों और अनिवासी पेंशनभोगियों के कारण शाखा/कार्यालय का दौरा करने की स्थिति में नहीं हैं।

- पूर्व कर्मचारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की सूची, जिनका जीवन प्रमाण पत्र अभी प्रस्तुत किया जाना है, पूर्व कर्मचारी अनुभाग के तहत बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
- पूर्व कर्मचारी पेंशनभोगी केनराइट्स ऐप में जीवन प्रमाणन प्रस्तुत करने की स्थिति की जांच कर सकता है।

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

वे कर्मचारी जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं, वे कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे पीएफआरडीए द्वारा तैयार की गई नई पेंशन योजना [डीसीपीएस] के अंतर्गत आते हैं। [प्र.का. परिपत्र संख्या 128/2013 दिनांक 21.03.2013 और 56/2022 दिनांक 31.01.2022]।

a. सेवानिवृत्ति पर आहरण

जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु /60 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तो वह एनपीएस में निवेशित रहने का निर्णय ले सकता है (75 वर्ष तक) या एनपीएस से बाहर निकल सकता है। एनपीएस कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

1) एनपीएस खाते को जारी रखना:

कर्मचारी 60 वर्ष/ सेवानिवृत्ति (75 वर्ष तक) की आयु के बाद भी एनपीएस खाते में योगदान करना जारी रख सकता है। 60 वर्ष के बाद यह योगदान एनपीएस के तहत विशेष कर लाभ के लिए भी पात्र है।

2) अपनी पेंशन शुरू करें:

यदि कोई कर्मचारी एनपीएस खाते को जारी/स्थगित नहीं करना चाहता है, तो वह एनपीएस से बाहर निकल सकता है। वह ऑनलाइन/ऑफलाइन से बाहर निकलने का अनुरोध शुरू कर सकता है और एनपीएस से बाहर निकलने के दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकता है।

एनपीएस से बाहर निकलते समय वह एकमुश्त के रूप में संचित पेंशन कोष के 60% तक वापस ले सकता है और उसे एक वार्षिकी खरीदने के लिए संचित पेंशन कोष के कम से कम 40% का उपयोग करना होगा जो नियमित मासिक पेंशन/वार्षिकी प्रदान करेगा।

यदि कुल संचित पेंशन कोष रुपये से कम या उसके बराबर है। ₹ 5 लाख, कर्मचारी 100% एकमुश्त निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।

एनपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर - पेंशन

i) वार्षिकी क्या है ?

एनपीएस के संदर्भ में, वार्षिकी कर्मचारी द्वारा वार्षिकी सेवा प्रदाता (एसपी) से प्राप्त मासिक राशि को संदर्भित करती है। कर्मचारी (न्यूनतम 40%) द्वारा तय किए गए पेंशन धन का एक प्रतिशत पैनेल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाता है।

ii) वार्षिकी सेवा प्रदाता कौन हैं ?

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) एनपीएस से बाहर निकलने के बाद कर्मचारी को नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये एएसपी मूल रूप से बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियमित बीमा कंपनियां हैं जो एनपीएस कर्मचारियों को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध हैं, वर्तमान में, पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध एएसपी निम्नलिखित हैं।

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. स्टार यूनिवर्स डार्ड-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि।
7. कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

नोट: एएसपी पैनल प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और एएसपी की सूची भविष्य में बदल सकती है।

iii) एनपीएस के तहत उपलब्ध वार्षिकी योजनाएं क्या हैं?

कर्मचारियों को एएसपी के साथ एनपीएस सेवानिवृत्ति फॉर्म जमा करते समय निम्नलिखित योजनाओं में से एक का चयन करना होगा:

- a) **जीवन के लिए वार्षिकी** - वार्षिकीकर्ता को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर, वार्षिकी/पेंशन का भुगतान बंद हो जाएगा और आगे कोई राशि देय नहीं होगी।
- b) **मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए वार्षिकी**- वार्षिकीकर्ता को जीवन काल के लिए पेंशन मिलेगी और वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर, वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और खरीद मूल्य का 100% नामिती (ओं) को वापस कर दिया जाएगा।
- c) **जीवनसाथी को देय 100% वार्षिकी के साथ जीवन के लिए देय वार्षिकी** - वार्षिकी को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकी की मृत्यु पर, जीवनकाल के लिए पति / पत्नी को वार्षिकी देय होगी। पति / पत्नी की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है और आगे कोई राशि देय नहीं होगी।
- d) **पति / पत्नी को देय 100% वार्षिकी के साथ जीवन के लिए देय वार्षिकी, खरीद मूल्य की वापसी के साथ** - वार्षिकी को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकी की मृत्यु पर, जीवनकाल के लिए पति / पत्नी को वार्षिकी देय होगी। पति / पत्नी की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है और खरीद मूल्य का 100% नामांकित व्यक्ति (ओं) को वापस कर दिया जाएगा। यदि पति/पत्नी वार्षिकी से पहले मर जाता है, तो वार्षिकी की मृत्यु के बाद वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और खरीद मूल्य नामांकित व्यक्ति (ओं) को वापस कर दिया जाएगा।
- e) **एनपीएस** - पारिवारिक आय विकल्प - वार्षिकी को आजीवन पेंशन मिलेगी और वार्षिकी की मृत्यु पर, जीवनकाल के लिए पति / पत्नी को वार्षिकी देय होगी। पति या पत्नी की मृत्यु पर, आश्रित मां को और फिर सब्सक्राइबर के आश्रित पिता को। अंतिम वार्षिकी की मृत्यु पर, वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है और खरीद मूल्य का 100% ग्राहक के जीवित बच्चों को वापस कर दिया जाएगा और बच्चों की अनुपस्थिति में ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारी लागू होंगे।

iv) एसपीएस द्वारा दी जाने वाली अस्थायी पेंशन राशि

पेंशन राशि की गणना एसपी द्वारा दिए गए सांकेतिक वार्षिकी दरों (जो समय-समय पर बदल सकती हैं) के आधार पर की जा सकती है। हालांकि, वास्तविक वार्षिकी राशि वार्षिकी की खरीद के समय प्रचलित दरों पर निर्भर करेगी।

v) क्या कर्मचारी वार्षिकी सेवा प्रदाता या वार्षिकी प्रकार को वार्षिकी खरीदने के बाद बदल सकता है?

एक बार वार्षिकी खरीद लेने पर, वार्षिकी रद्द करने या अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाताया किसी अन्य योजना में पुनः निवेश करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा (पीअफ़आरडीए द्वारा विशेष रूपसे दी गई अथवा वार्षिकी अनुलग्नक के संबंध में दी गई फ्री लुक अवधि) के भीतर ऐसा न किया जाए।

सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर एनपीएस निकासी प्रक्रिया:

अभिदाता द्वारा अपने नोडल कार्यालय/पीओपी के माध्यम से सीआरए (एनएसडीएल) को सेवानिवृत्ति आहरण अनुरोध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एसपीएफ और ग्रेच्युटी सेक्शन, एचआर एंड पीआर विंग, प्रधान कार्यालय, बेंगलुरु, जैसा भी लागू हो। नोडल कार्यालय/पीओपी को सब्सक्राइबर द्वारा प्रस्तुत निकासी आवेदन की पूर्णता के बारे में खुद को संतुष्ट होना चाहिए और संतुष्ट होने के बाद सीआरए (एनएसडीएल) द्वारा धन जारी करने के लिए निकासी आवेदन को आगे भेजना चाहिए।

b. पूर्व-परिपक्व निकासी:

i. कर्मचारी की मृत्यु होने पर

एनपीएस मुख्य रूप से कर्मचारियों को उनके जीवन के सेवानिवृत्ति चरण के दौरान वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन एक कर्मचारी के परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का भी एक ज़रिया है, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। योजना के नकदीकरण से पहले किसी कर्मचारी के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, उसका नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी एनपीएस खाते में जमा राशि वापस ले सकता है। इस राशि को एकमुश्त राशि के रूप में पूरी तरह से वापस लिया जा सकता है या कर्मचारी/ग्राहक की मृत्यु के बाद मासिक पेंशन के लिए वार्षिकी खरीदने का विकल्प होगा।

ii. कर्मचारी के इस्तीफे / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में।

सेवानिवृत्ति की आयु से पहले किसी भी समय बैंक की सेवाओं या बैंक सेवाओं से इस्तीफा देने के मामले में, कर्मचारियों को या तो एनपीएस खाते (पीआरएएन) को किसी भी नियोक्ता/संगठन में स्थानांतरित करने या एनपीएस से पूर्व परिपक्व निकासी का विकल्प चुनने की अनुमति है (कम से कम 5 वर्षों से एनपीएस में रहने वाले ग्राहक को अनुमति)। बंद कर्मचारी को अपने प्रान/वापसी के स्थानांतरण के लिए नीचे दिए गए कुछ कदमों का पालन करना होगा।

- किसी भी नियोक्ता/संगठन को पीआरएएन/एनपीएस खाते को स्थानांतरित करने के लिए: एनपीएस खाता पोर्टेबल है, कर्मचारी को पीआरएएन को स्थानांतरित करने के लिए नए नियोक्ता को एस3 फॉर्म जमा करना होगा।
- एनपीएस की समयपूर्व निकासी के लिए: एनपीएस से पूर्व-परिपक्व निकासी (सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले निकास/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले) के मामले में, सब्सक्राइबर के संचित पेंशन कोष का कम से कम 80% एक वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जो एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगा। शेष निधियों को एकमुश्त रूप में वापस लिया जा सकता है। हालांकि, कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद ही एनपीएस से बाहर निकल सकता है।

- यदि कुल कोष 2.50 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो कर्मचारी/अभिदाता 100% एकमुश्त निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।

नोट:

कृपया ध्यान दें कि एनपीएस से बाहर निकलना और सूचीबद्ध एएसपी से वार्षिकी की खरीद दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध एएसपी से वार्षिकी योजना खरीदना कर्मचारियों/अंशधारकों के लिए अनिवार्य है। एएसपी के साथ विशेष वार्षिकी योजना की उपलब्धता और वार्षिकी उद्धरण आदि के बारे में अधिक जानकारी सीआरए की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक के अनुसार उपलब्ध है:

www.npskra.nsdli.co.in/annuity-service-providers.php

एएसपी योजना विवरण और वार्षिकी चयन मैट्रिक्स बदल सकते हैं। कृपया वार्षिकी विवरण भरने से पहले सीआरए वेबसाइट पर जाएं। एएसपी के नए नामांकन के आधार पर एएसपी के नामांकन की सूची समय-समय पर बदल सकती है।

फंड जारी करने में देरी:

चूंकि सेवानिवृत्त लोग अपनी निश्चित सेवानिवृत्ति की पक्की तारीख पता होती है, वे होल्ड किए गए फंड को जारी करने में देरी से बचने के लिए अपने आवास ऋण/वाहन ऋण देनदारियों को अच्छी तरह से पहले से जारी रखने की मांग कर सकते हैं।

रियायती ब्याज दर के तहत आवास ऋण जारी रखना

एचएल सीमाओं/देनदारियों को बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष तक या 75 वर्ष की आयु होने पर, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कर्मचारी आवास ऋण (ईएचएल) के समान नियमों और शर्तों पर जारी रखने की अनुमति है। इस संबंध में, कर्मचारियों को आवास ऋण पर निर्देश पुस्तिका का संदर्भ लिया जा सकता है।

कार ऋण के तहत सीमाओं/देनदारियों को जारी रखना

कार ऋण के तहत सीमाओं/देनदारियों को कर्मचारी की मर्जी से अधिकारियों के लिए कार ऋण योजना और कामगार कर्मचारियों को कार ऋण संबंधित योजनाओं की ब्याज दर पर सेवा की समाप्ति की तारीख से 10 साल (120 महीने) की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति है। हालांकि, कुल चुकौती अवधि संबंधित योजना में अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर होगी, जिसमें उपरोक्त 10 वर्ष की विस्तारित अवधि शामिल है। अधिक जानकारी के लिए, आवास ऋण के अलावा अन्य कर्मचारियों को अग्रिम पर निर्देश पुस्तिका संदर्भित की जा सकती है।

अधिकारी कर्मचारियों को उपलब्ध फर्नीचर का प्रतिधारण

जिन अधिकारियों ने फर्नीचर सुविधा का लाभ उठाया है, वे मानदंडों के अनुसार रियायती दरों पर फर्नीचर आइटम खरीदने के पात्र हैं, जब वे सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं पर सेवानिवृत्त होते हैं। नवीनतम परिसर और संबद्ध मामलों के अनुसार क्वार्टर फर्नीचर वस्तुओं का नीति हस्तांतरण

- i. बैंक की सेवाओं से बाहर निकलने पर, सेवानिवृत्ति और वीआरएस के मामले में, फर्नीचर को निम्नानुसार राशि की वसूली करके स्थानांतरित किया जाएगा।

फर्नीचर की समयसीमा	कर सहित वसूल की जाने वाली राशि
1 वर्ष से कम	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या ओसीपी के 31 मार्च को बही मूल्य
1 वर्ष से < 2 वर्ष	पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को बही मूल्य का 80%
2 वर्ष से < 3 वर्ष	पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को बही मूल्य का 60%
3 वर्ष और उससे अधिक	निःशुल्क

- ii. सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के मामले में, 06.12.2025 तक किसी भी कर्मचारी द्वारा पहले से ही प्राप्त किए गए राजस्व मदों को आयु और काल्पनिक बही मूल्य की परवाह किए बिना निःशुल्क स्थानांतरित किया जाएगा।
- iii. सेवा में मृत्यु के मामले में फर्नीचर योजना के अनुसार अधिकारी द्वारा प्राप्त फर्नीचर आइटम मृत अधिकारी के परिवार को उस अधिकारी द्वारा पहले से खरीदे गए फर्नीचर / फिक्स्चर मुफ्त में दिए जाएंगे और 31 मार्च को बही मूल्य बैंक के रिकॉर्ड से बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, भले ही फर्नीचर / फिक्स्चर की खरीद की अवधि कुछ भी हो।

अधिकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध मोबाइल हैंडसेट का प्रतिधारण

1. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामले में मोबाइल फोन को निःशुल्क में स्थानांतरित किया जाता है, भले ही मोबाइल की समय सीमा कुछ भी हो।
2. अधिकारी के बैंक से बाहर निकलने पर (उपरोक्त के अलावा) अर्थात वी.आर.एस./अनिवार्य सेवानिवृत्ति/हटाने/बर्खास्त/इस्तीफे पर अधिकारी को निम्नलिखित भुगतान करके मोबाइल लेना चाहिए:

मोबाइल हैंडसेट की समयसीमा	कर सहित वसूल की जाने वाली राशि
1 वर्ष से कम	मोबाइल फोन की लागत का 40% या संबंधित पैमाने की अधिकतम सीमा का 40%, जो भी कम हो।
1 वर्ष से < 2 वर्ष	मोबाइल फोन की लागत का 20% या संबंधित पैमाने की अधिकतम सीमा का 20%, जो भी कम हो।
2 वर्ष से < 3 वर्ष	मोबाइल फोन की लागत का 10% या संबंधित पैमाने की अधिकतम सीमा का 10%, जो भी कम हो।

अधिकारियों/कार्यपालकों द्वारा बैंक के क्वार्टर का प्रतिधारण

1. सामान्य सेवानिवृत्ति पर:

अगर अधिकारी को सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले काम करने की आखिरी स्थान पर क्वार्टर/रहने की जगह दी गई थी, तो उसके अनुरोध पर, सेवानिवृत्ति की तारीख से अधिकतम दो महीने की अवधि के लिए क्वार्टर/रहने की जगह अपने पास रखने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए किराए के रूप में पैमाने के मूल वेतन के पहले चरण का 0.75% किराया लिया जाएगा। हालांकि, पूर्व-अधिकारी द्वारा दिए गए ऐसे किराए के लिए कोई

रसीद जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा, अगर अधिकारी फर्नीचर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वेतनमान में मूल वेतन के पहले चरण का 0.15% अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

उपरोक्त सुविधा अधिकारी के विशिष्ट अनुरोध पर अनुमत होगी और जहां भी सेवानिवृत्ति के बाद क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी, ऐसे सेवानिवृत्त लोगों को टर्मिनल लाभ तब तक रोककर जारी किए जाएंगे जब तक क्वार्टर का खाली कब्जा सौंप नहीं दिया जाता और टेलीफोन/बिजली के बिल वगैरह, अगर कोई हैं, तो उनका निपटारा नहीं हो जाता। ऐसे अधिकारी संबंधित अं.का./प्र.का. को प्र.का. परिपत्र 617/2018 दिनांक 27.12.2018 के अनुलग्नक के अनुसार संबंधित अं.का./प्र.का. को एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, रोकी गई राशि, अगर कोई बकाया है, तो उसे बिना किसी ब्याज के वसूल करने के बाद जारी की जाएगी।

2. मृत अधिकारियों के परिवार के सदस्यों द्वारा:

उनके अनुरोध पर, एक मृतक अधिकारी के परिवार के सदस्यों को अधिकारी की मृत्यु की तारीख से अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए बैंक के क्वार्टर को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि अधिकारी को उसकी मृत्यु के समय आवासीय आवास प्रदान किया गया था, जो अधिकारी के सेवा में रहते हुए बैंक से वसूल किए जा रहे शुल्क की वसूली के अधीन था।

जब मासंप्र अनुभाग द्वारा एक मृत अधिकारी के परिवार के सदस्यों द्वारा क्वार्टर के प्रतिधारण की अनुमति दी जाती है, तो मृतक अधिकारी के कानूनी वारिसों/नामितियों को देय कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ग्रेच्युटी और बैंक के योगदान की राशि क्वार्टर का कब्जा और टेलीफोन बिलों/बिजली बिल का निपटारा होने के बाद ही जारी की जाएगी।

3. सेवा समाप्ति / अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर:

जो अधिकारी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/सेवा समाप्त कर दिए गए हैं और जिन्होंने प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की है, वे मामले का अंतिम निपटारा होने तक क्वार्टर में रह सकते हैं।

अधिकारी कर्मचारी को मा.सं.प्र. अनुभाग, अंचल कार्यालय को एक पत्र देना होगा जिसमें उनसे अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय आने तक क्वार्टर में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा और उप महाप्रबंधक, अं.का. को इसकी अनुमति देने का अधिकार है। स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के संबंध में, एचआर विभाग, प्र.का. के महाप्रबंधक को इसकी अनुमति देने का अधिकार है।

यदि अधिकारी प्रक्रिया के अनुसार यानी 30/45 दिनों के भीतर प्रतिनिधित्व नहीं देता है, तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति आदेश पारित होने के 30/45 दिनों की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करना होगा।

यदि अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अधिकारी के प्रतिकूल है, तो अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करना होगा।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति की तारीख के बाद क्वार्टर में रहने की अवधि के लिए, स्केल के पहले चरण के मूल वेतन का 0.75% (क्वार्टर के लिए) या 0.90% (क्वार्टर + फर्नीचर सुविधा के लिए), जैसा भी मामला हो, वसूल किया जाएगा।

यदि राशि हर महीने वसूल नहीं की जा सकती है, तो उसे पूर्व-कर्मचारी को देय राशि से या टर्मिनल लाभों से वसूल किया जाएगा।

जहां बैंक को देय राशि को टर्मिनल लाभों से काटने का कोई प्रावधान नहीं है, वहां कर्मचारी से राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है और जब तक वह देय राशि की प्रतिपूर्ति नहीं करता है, तब तक टर्मिनल लाभों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

यदि पूर्व-कर्मचारी अपने खाते में टर्मिनल लाभ जमा करने का अनुरोध करता है, तो बैंक को देय राशि को टर्मिनल लाभ जमा होते ही उसके खाते से डेबिट करके वसूल किया जा सकता है।

जहां कर्मचारी को देय लाभ पर्याप्त नहीं हैं या बैंक से कोई लाभ/राशि देय नहीं है, वहां राशि को अलग से वसूलने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

आवास ऋण देयता का समायोजन / निरंतरता

आवास ऋण योजना के अनुसार, यदि अधिकारी बैंक की सेवाओं में नहीं रहता है (इस्तीफे / मृत्यु आदि के कारण) आवास ऋण पूरी तरह से स्वीकृत होने से पहले, ब्याज सहित पूरी देयता तुरंत बैंक को देय हो जाएगी।

हालांकि, यदि अधिकारी की मृत्यु के कारण वह बैंक की सेवाओं में नहीं रहता है, तो मौजूदा नियमों और शर्तों पर आवास ऋण दायित्व को जारी रखने की अनुमति दी जाती है यदि अनुरोध जीवित कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता है।

अंचल के उ.म.प्र. जिन्होंने आवास ऋण स्वीकृत किया है, को एचएल देयता को जारी रखने की अनुमति देने का अधिकार है। प्रत्येक मामले पर आय के स्रोत के संदर्भ में मासिक किशतों द्वारा ऋण चुकाने के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों की परिस्थितियों और क्षमता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है।

कानूनी उत्तराधिकारियों को इस मामले को उस शाखा के माध्यम से अंचल कार्यालय में उठाना चाहिए जहां आवास ऋण की देनदारी बकाया है। बीमा पॉलिसी की आय, यदि कोई हो, जो दिखावटी देनदारी को कवर करने के लिए प्राप्त की गई थी, को आवास ऋण की देनदारी की ओर समायोजित किया जाना है।

यदि देयता को जारी रखने के लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है, तो ब्याज सहित पूरी देयता उस तारीख को देय हो जाएगी जहां से अधिकारी बैंक की सेवाओं में नहीं रहता है। ऐसे मामलों में, अतिदेय ब्याज के साथ ग्राहकों पर लागू ब्याज लगाया जाना है।

ऐसे मामलों में जहां अधिकारी सेवानिवृत्ति/इस्तीफे पर आवास ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए अंतिम लाभों को समायोजित करने का जनादेश देते हैं और अंतिम लाभ जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप दायित्व को पूरा करने में देरी होती है, तो म.प्र., मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग, प्र.का. निम्नलिखित परिस्थितियों में एचएल दायित्व के लिए मौजूदा ब्याज दर वसूलने पर विचार कर सकता है। i. ब्याज सहित बकाया संपूर्ण एचएल दायित्व को अंतिम लाभों से बाहर कर दिया जाएगा; ii. अधिकारी को सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के समय अंतिम लाभों से एचएल दायित्व को पूरा करने का जनादेश देना चाहिए। iii. अंतिम लाभ जारी करने में देरी तकनीकी प्रकृति के कारण होनी चाहिए और अधिकारी की ओर से कोई दोष/देरी नहीं होनी चाहिए।

सेवानिवृत्त कर्मचारी के निधन की अप्रत्याशित परिस्थितियों में, संयुक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी को उस ऋण को जारी रखने या स्पष्ट करने का विकल्प दिया जाएगा जो किसी कर्मचारी द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त किया गया था। यदि कानूनी वारिस/संयुक्त उधारकर्ता आवास ऋण जारी रखने का विकल्प चुनता है, तो उसे मूल स्वीकृति शर्तों के अनुसार या मृत सेवानिवृत्त कर्मचारी की 75 वर्ष की अनुमानित आयु, जो भी पहले हो, तक अनुमति दी जा सकती है।

बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवास ऋण योजना

उद्देश्य:

आवास ऋण एक तैयार घर/फ्लैट की खरीद या घर/फ्लैट के निर्माण या साइट की खरीद और उस पर घर के निर्माण के लिए माना जाएगा। हालांकि, केवल साइट की खरीद के उद्देश्य से ऋण पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, प्लॉट की खरीद के लिए स्वीकृत ऋण का 40% निर्धारित है यदि ऋण प्लॉट की खरीद और उस पर घर के निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया है।

पात्रता:

बैंक के निम्नलिखित सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना के तहत आवास ऋण के लिए पात्र हैं:

1. सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने अपनी सक्रिय सेवा के दौरान हमारे बैंक/या किसी अन्य बैंक से ईएचएल या आवास ऋण का लाभ नहीं उठाया है और जिनके पास घर नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे कर्मचारी, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सीआरएस, समाप्ति, इस्तीफा आदि के कारण बैंक की सेवाओं में नहीं रहे, वे इसके लिए योग्य नहीं हैं।
2. योजना के तहत ऋण प्राप्त करते समय, सेवानिवृत्त कर्मचारी 60 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष तक होनी चाहिए।
3. ऋण सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति या पत्नी और/या एक या अधिक प्रमुख बच्चों के नाम पर लिया जाएगा।
4. संपत्ति सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम पर और/या पति या पत्नी के नाम पर या संयुक्त रूप से एक या अधिक प्रमुख बच्चों के साथ होगी।
5. पूर्व कर्मचारी इस सुविधा के लिए सिर्फ एक बार योग्य होगा।

संवर्ग:

विभिन्न संवर्गों के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऋण की मात्रा निम्नानुसार होगी:

अधिकारी (स्केल-1 और उससे ऊपर)	30 लाख रुपये
लिपिक कर्मचारी	18 लाख रुपये
अधीनस्थ-कर्मचारी	12 लाख रुपये

हालांकि, बताई गई शर्तें इस बात पर निर्भर करती हैं कि नेट टेक होम पेंशन (एचएल किस्त के बाद और टीडीएस के लिए प्रावधान करने के बाद) 30% या 5,000/- रुपये, जो भी ज्यादा हो, बनी रहे।

यदि कमाने वाला सदस्य अर्थात् बेटा / बेटा संपत्ति का संयुक्त मालिक / ऋण का संयुक्त उधारकर्ता है, तो ऐसे संयुक्त उधारकर्ता की आय को नेट टेक होम पे के उद्देश्य से गिना जा सकता है।

सेवानिवृत्ति के समय, जहां भी ईएचएल देयता की निरंतरता की अनुमति है, 30% पर एनटीएच प्राप्त करने के उद्देश्य से, पति/पत्नी/प्रमुख बच्चों की आय को सह-उधारकर्ता के रूप में उनके शामिल होने के अधीन ध्यान में रखा जाएगा। (आय में निवेश/जमा, किराये की आय/ वेतन आय/ स्वयं/ पति/पत्नी/ प्रमुख बच्चों की पेशेवर/ व्यावसायिक आय पर ब्याज शामिल है, जिसके लिए पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए)।

पूर्व कर्मचारी ऋण देयता के लंबित रहने के दौरान न्यूनतम आवश्यक एनटीएच पेंशन बनाए रखने का वचन देगा।

यदि उपर्युक्त योग्य मात्रा से अधिक ऋण की आवश्यकता हो, तो योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास ऋण योजना के तहत ऐसी अतिरिक्त राशि की अनुमति दी जा सकती है।

ब्याज दर:

सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त कर्मचारी और जिन्होंने अपनी सक्रिय सेवा के दौरान हमारे बैंक से ईएचएल या किसी अन्य बैंक से आवास ऋण का लाभ नहीं उठाया है और जिनके पास घर नहीं है, वे मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद एचएल का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऐसे आवास ऋण के लिए आरओआई 15.05.2020 से 7.5% प्रति वर्ष साधारण होगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारी के निधन की अप्रत्याशित परिस्थितियों में, संयुक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी को ऋण जारी रखने या मंजूरी देने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कानूनी वारिस/संयुक्त उधारकर्ता आवास ऋण जारी रखने का विकल्प चुनता है, तो उसे मूल स्वीकृति शर्तों के अनुसार या मृत सेवानिवृत्त कर्मचारी की 75 वर्ष की अनुमानित आय तक, जो भी पहले हो, तक अनुमति दी जा सकती है।

मौजूदा नियमों और शर्तों पर आवास ऋण देयता को जारी रखने और जारी रखने सहित अन्य सभी योजना दिशानिर्देश रियायती आरओआई कानूनी वारिस/संयुक्त उधारकर्ता द्वारा भी आवास ऋण जारी रखने पर जारी रहेगा।

सुरक्षा:

गृह संपत्ति की ईएमटी का वित्तपोषण किया जा रहा है। सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की व्यक्तिगत गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी यदि ऋण विशेष रूप से कर्मचारी के नाम पर है। यदि एक या अधिक कानूनी उत्तराधिकारी ऋण के लिए संयुक्त उधारकर्ता हैं तो इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

मार्जिन:

ग्राहकों को सामान्य आवास ऋण के तहत लागू होने के अनुसार

पुनर्भुगतान अवधि:

ऋण के उद्देश्य के आधार पर या उधारकर्ता के 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, 1 से 18 महीने की पुनर्भुगतान अवकाश सहित अधिकतम 15 वर्ष। स्थायी निर्देश / पीडीसी / ईसीएस आदेशों के माध्यम से वसूली की जाएगी।

मूल देयता 124 महीने चुकाई जाएगी और ब्याज देयता 56 महीने चुकाई जाएगी। यदि चुकौती अवकाश की अनुमति है, तो मूल देयता के लिए किशतों की संख्या अनुमत चुकौती अवकाश की सीमा तक कम कर दी जाएगी।

प्रसंस्करण शुल्क: शून्य

स्वीकृति प्राधिकरण: अंचल कार्यालय के उ.म.प्र. जिसके अधिकार क्षेत्र में गृह संपत्ति स्थित है।

केनरा पेंशन: (प्र.का. परिपत्र 528/2021 दिनांक 02.08.2021)

केनरा पेंशन	
पैरामीटर	दिशानिर्देश
उद्देश्य	घटक 1: पेंशनभोगियों/परिवारिक पेंशनभोगियों के चिकित्सा खर्चों और अन्य वास्तविक व्यक्तिगत जरूरतों की लागत को पूरा करने के लिए। और/या घटक 2: हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आईबीए ग्रुप मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए/हमारे बैंक के परिवारिक पेंशनरों के लिए जिन्होंने इस योजना का विकल्प चुना है और योजना के तहत शामिल किए गए हैं।
पात्रता	बैंक के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी
राशि, एनटीएच	20 महीने की पेंशन राशि या 10,00,000/- रुपये, इनमें से जो भी कम हो, बशर्ते प्रस्तावित ई. एम. आई. काटने के बाद सकल का 25% एन. टी. एच. बना रहे।
पुनर्भुगतान अवधि	i) यदि पेंशनभोगी 65 वर्ष से कम आयु का है तो 72 ईएमआई में चुकाना होगा। ii) यदि पेंशनभोगी की आयु 65 वर्ष से अधिक है तो 60 ईएमआई में चुकाना होगा।
मंजूरी देने वाला प्राधिकारी	✓ शाखा प्रभारी स्वीकृति प्राधिकारी है। ✓ शाखा प्रमुखों के अलावा वीएलबी और ईएलबी में क्रेडिट प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक भी योजना दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए मंजूरी दे सकते हैं। योजना के तहत समय-समय पर सूचित शक्तियों का प्रत्यायोजन का पालन किया जाना चाहिए।
सुरक्षा	पेंशनभोगियों को ऋण के मामले में: पति या पत्नी का सह-दायित्व (जहां भी पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है) या राशि के लिए अच्छा कोई अन्य व्यक्ति/पेंशनभोगी, यदि आवश्यक हो, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। पारिवारिक पेंशनभोगी को ऋण के मामले में: राशि के लिए तृतीय पक्ष गारंटी/सह-दायित्व अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।
आरओआई	आरएलएलआर + 2.00%
रेटिंग शीट	माफ किया गया
प्रभार	एनआईएल
आईबीए समूह मेडिकलेम बीमा पॉलिसी का विकल्प चुनने वालों के लिए योजना मानदंड	ऋण मात्रा: पेंशनभोगी/ परिवारिक पेंशनभोगी को आईबीए ग्रुप मेडिकलेम बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम भरने के लिए दूसरे ऋण के रूप में अधिकतम ऋण पात्रता होगी: - • वर्ष के लिए देय वार्षिक प्रीमियम की राशि या • केनरा पेंशन ऋण योजना के अनुसार अधिकतम पात्र ऋण राशि या

	<ul style="list-style-type: none">• 90,000/- रुपये, जो भी कम हो, उपरोक्त तीन में से प्रतिपूर्ति सुविधा का लाभ वित्तीय वर्ष के भीतर इस योजना के तहत आईबीए ग्रुप मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के लिए लिया जा सकता है। <p>हालांकि, दोनों घटक के तहत ऋण की मंजूरी और संवितरण के समय अधिकतम ऋण देयता 20 महीने की पेंशन राशि या 10,00,000/- रुपये (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

सेवानिवृत्त लोगों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ: क्या करें और क्या न करें

निम्नलिखित साइबर सुरक्षा संबंधी करने योग्य और न करने योग्य बातें हमें सतर्क रहने के लिए आवश्यक कार्यों की याद दिलाती हैं।

- ✓ ऐसे पासवर्ड या पासफ्रेज़ उपयोग करें जिनका अनुमान लगाना मुश्किल हो। एक पासवर्ड में अपरकेस लैटर, लोअरकेस लैटर, नंबर और विशेष वर्णों का उपयोग करके न्यूनतम 10 वर्ण होने चाहिए। आपके लिए यह याद रखना आसान बनाने के लिए लेकिन एक हमलावर के लिए अनुमान लगाना कठिन है, एक संक्षिप्त नाम बनाना। "उदाहरण के लिए, एक वाक्यांश चुनें जो आपके लिए सार्थक है, जैसे कि "मैं प्रतिदिन 30 मिनट की तेजी से चलता हूँ" उस वाक्यांश का उपयोग अपने गाइड के रूप में करके, आप अपने पासवर्ड में इसका IGF30 MOBWD उपयोग कर सकते हैं।"
- ✓ विभिन्न खातों के लिए विभिन्न पासवर्ड का उपयोग करें। यदि एक पासवर्ड हैक हो जाता है, तो आपके अन्य खातों सुरक्षित रहेंगे।
- ✓ अपने पासवर्ड या पासफ्रेज़ को गोपनीय रखें। उन्हें दूसरों के साथ साझा न करें या उन्हें न लिखें। आप अपने गोपनीयता से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं।
- ✓ ईमेल/एसएमएस में फ़िशिंग ट्रेप पर ध्यान दें और स्पैम के संकेतों के लिए देखें। यदि आपको कोई संदिग्ध ईमेल/एसएमएस प्राप्त होता है, तो सबसे अच्छा होगा कि आप उस ईमेल/ एसएमएस को तुरंत डिलीट कर दें।
- ✓ जब जानकारी की आवश्यकता न हो तो उसे ठीक से नष्ट कर दें।
- ✓ प्रिंटिंग, कॉपी करने, टेक्स्टिंग या संवेदनशील जानकारी पर चर्चा करते समय अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें।
- ✓ इस्तेमाल न होने पर अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों को लॉक करें। यह डेटा को अनधिकृत पहुंच और उपयोग से बचाता है।
- ✓ सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करने से बचें।
- ✓ अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए सोशल मीडिया साइटों पर गोपनीय सेटिंग का उपयोग करें।
- ✓ सभी संदिग्ध गतिविधि और साइबर घटनाओं की सूचना अपने आस-पास की शाखाओं को दें।



DOs

- ✓ किसी अनजान या अविश्वसनीय सोर्स से आए लिंक पर क्लिक न करें। साइबर हमलावर अक्सर इनका इस्तेमाल आपको धोखा देकर मैलिशियस साइट्स पर ले जाने और मैलवेयर डाउनलोड करवाने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल आपके डेटा चुराने के लिए किया जा सकता है।
- ✓ किसी के साथ भी संवेदनशील जानकारी साझा न करें।
- ✓ अपने डेस्क पर प्राइवेट जानकारी वाले प्रिंटआउट या पोर्टेबल मीडिया न छोड़ें। अनधिकृत खुलासे के जोखिम को कम करने के लिए उन्हें दराज में बंद करके रखें।
- ✓ सोशल मीडिया पर कोई भी प्राइवेट या संवेदनशील जानकारी, जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी पोस्ट न करें।
- ✓ गोपनीय जानकारी देने के झांसे में न आएं। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के लिए कॉल करके कर्मचारी या व्यावसायिक पार्टनर होने का नाटक करना आसान है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, ओटीपी या अन्य प्राइवेट जानकारी जैसे गोपनीय डेटा मांगने वाले फोन कॉल या ईमेल का जवाब न दें।
- ✓ डिवाइस को बिना निगरानी के न छोड़ें। लैपटॉप और सेल फोन जैसे सभी मोबाइल डिवाइस को भौतिक रूप से सुरक्षित रखें।
- ✓ इस्तेमाल में न होने पर वायरलेस या ब्लूटूथ चालू न छोड़ें। ऐसा तभी करें जब आप उनका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हों और केवल सुरक्षित माहौल में ही करें।
- ✓ किसी अनजान या अविश्वसनीय स्रोत से एप्लिकेशन डाउनलोड न करें। हमेशा एप्लिकेशन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें।
- ✓ विश्वसनीय स्रोत से डाउनलोड किए गए एप्लिकेशन को अनावश्यक अनुमतियाँ न दें।



DON'Ts

शिकायतों को बढ़ाने के लिए संपर्क का एकल बिंदु

बैंक ने पूर्व कर्मचारियों की अनसुलझी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बैंक के पेंशन फंड अनुभाग के प्रबंधक को एकल संपर्क बिंदु के रूप में नामित किया है।

एकल संपर्क बिंदु का विवरण हमारे बैंक की वेबसाइट www.canarabank.bank.in पर Announcements >> Ex employees पाथ पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर और संपर्क विवरण

क्रमांक	अंचल का नाम	फोन	ई-मेल
1	आगरा	0562-3500613	hrmcoagra@canarabank.com
2	अहमदाबाद	079-69027841/69027834	hrmcoahd@canarabank.com
3	बेंगलूरु	080-25310012/25310016	blrhrm@canarabank.com
4	भोपाल	0755-2576547/2559953	hrmcobpl@canarabank.com
5	भुवनेश्वर	0674-2391330/2391517	hrmcobhu@canarabank.com
6	चंडीगढ़	0172-2615535 / 2605238	hrmcochd@canarabank.com
7	चेन्नई	044-24349354	hrmcochn@canarabank.com
8	दिल्ली	011-26286217	hrmcode@canarabank.com
9	गुवाहाटी	0361-2334009	hrmcoguw@canarabank.com
10	हुबली	0836-2239471/72	hrmcohub@canarabank.com
11	हैदराबाद	040-27725211/27725232	hrmcohyd@canarabank.com
12	जयपुर	0141-2222884	hrmcojpr@canarabank.com
13	करनाल	0184-4063668/4063679	hrmcokar@canarabank.com
14	कोषिकोड़	0495-2334425	hrmcokoz@canarabank.com
15	कोलकाता	033-22831504/22831508	hrmcokol@canarabank.com
16	लखनऊ	0522-2307607	hrmcoluck@canarabank.com
17	मदुरै	0452-2333828	hrmcomdu@canarabank.com
18	मंगलुरु	0824-2441097/2863431	hrmcomlr@canarabank.com
19	मणिपाल	0820-2572085	hrmcompl@canarabank.com
20	मुंबई	022-26535329 / 26728306	staffocomcity@canarabank.com
21	पटना	0612-2320843	hrmcoapat@canarabank.com
22	पुणे	020-25530624	hrmcoarne@canarabank.com
23	रांची	0651-2331529/2332702	hrmranchico@canarabank.com
24	तिरुपति	0877-2503848	hrmcoapt@canarabank.com
25	तिरुवनंतपुरम	0471-2320255 / 2331342	hrmcoavm@canarabank.com
26	विजयवाड़ा	0866-2428852/2428857	hrmcovij@canarabank.com
27	होसा अनुभाग	080 -22223161	hosa@canarabank.com
28	एसए अनुभाग	080-25310134	inspwingsas@canarabank.com

<p>1. औद्योगिक संबंध अनुभाग मानव संसाधन विभाग नंबर 112, जेसी रोड, प्रधान कार्यालय बेंगलूरु - 560 002। फोन: 080-22116914/080-22116923 ईमेल: hoir@canarabank.com</p>	<p>2. कार्मिक प्रबंधन अनुभाग मानव संसाधन विभाग नंबर 112, जेसी रोड, प्रधान कार्यालय बेंगलूरु - 560 002. फोन: 080-22116916 ईमेल: hopm@canarabank.com</p>
<p>3. केनरा बैंक कर्मचारी पेंशन निधि मानव संसाधन विभाग नंबर 14, एमजी रोड, प्रधान कार्यालय अनेक्स नवीन कॉम्प्लेक्स बेंगलूरु - 560 001. फोन: 080-25323801 ईमेल: hopenfund@canarabank.com</p>	<p>4. कर्मचारी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी अनुभाग मानव संसाधन विभाग नंबर 14, एमजी रोड, प्रधान कार्यालय अनेक्स नवीन कॉम्प्लेक्स बेंगलूरु - 560 001। फोन: 080-25321985 ईमेल: hospf@canarabank.com</p>
<p>5. प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन अनुभाग मानव संसाधन विभाग नंबर 112, जेसी रोड, प्रधान कार्यालय बेंगलूरु - 560 002. फोन: 080-22223161/080-22223389 ईमेल: hosa@canarabank.com</p>	



श्री अम्बेम्बाल सुब्बाराव पै

संस्थापक, केनरा बैंक

हमारी प्रेरणा

“एक अच्छा बैंक न केवल समाज का वित्तीय हृदय होता है, बल्कि आम आदमी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास करना उसकी जिम्मेदारी होती है।”

- ए सुब्बाराव पै